उपसभापति : मैं तो 10 साल से कमेटी की मैम्बर हूं। 1985 में मैम्बर बनी थी। कई मंत्री बदले, अब केसरी जी ने किया।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : आप वाकिफ़ हो गई हैं (**व्यवधान**)

उपसभापति : मैं वाकिफ हो गई हूं इसके लिए। बोलिये मंत्री जी।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

"वक्फों के बेहतर प्रशासन और तत्संसक्त या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

उपसभापति महोदया, मैं आज इस वक्फ बिल के प्रस्ताव को इस सदन के सामने विचार के लिए प्रस्तावित कर रहा हूं। इस संबंध में हमारे कांग्रेस दल ने 1991 में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में घोषणा की थी। इसलिए म आज प्रस्ताव करता हूं कि वक्फ के कुशल प्रशासन से संबंधित या अनुरूप विषयों का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदया, 1991 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्र में हमने वायदा किया था कि हम इस वक्फ अधिनियम की समीक्षा के बाद संशोधन कर के इसे और भी कारगर बनाएंगे। 1991 में कल्याण मंत्रालय का कार्यभार लेते हुए मैंने इस दिशा में कार्यवाही शुरु कर के इस मुद्दे पर माननीय मुसलमान भाइयों, संसद् सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मुस्लिम सदस्यों; मुस्लिम समुदाय के अन्य गणमान्य नेताओं के साथ व्यापक विचार किया और इसमें काफी समय लगा। महोदया, मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 वक्फ अधिनियम 1954 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वक्फ अधिनियम 1954 का मूल प्रयोजन देश में वक्फ सम्पत्तियों को कुशल प्रशासन प्रदान करना था। फिर भी 1954 के अधिनियम को लागू होने के तत्काल बाद ही इसके विभिन्न प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिवेदन एवं आपत्तियां आनी शुरु हो गयी। इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए इस कानून में 1959, 1964 एवं 1969 में संशोधन किए गए। वक्फ संशोधनों विधेयक, 1969 पर विचार विमर्श के दौरान संसद में जोरदार मांग की गयी कि देश में वक्फ प्रशासन के समग्र कार्यकरण का एक समिति द्वारा गहराई से अध्ययन किया जाए। अतः सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दिसम्बर 1970 में श्री सैयद अहमद की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। इस समिति ने 1973 की अपनी अंतरिम रिपोर्ट एवं 1976 की अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से अनेक अनुशंसाएं की।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 1984 लाया गया। मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि जब इस विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा था तो कुछ माननीय सदस्यों ने इसके प्रावधानो पर घोर आपत्तियां दर्ज की थीं वक्फ जिनमें वक्फ आयुक्त की वक्फ बोर्ड के निरस्त करने का अधिकार न होने एवं राज्यों को वक्फ बोर्डों के कार्यों में दखलदाजी न करने का सुझाव दिया गया ताकि उनकी स्वायत्ता, आटोनामी बरकरार रह सके। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक, 1954 इस सदन द्वारा पारित किया गया था लेकिन इसके सिर्फ दो प्रावधानों को ही लागू किया गया।

अतः वक्फ कानून के प्रावधानों में सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से 1980 के दशक में एक गहन वानी गम्भीर प्रयास शुरु किया गया। कल्याण मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैंने इस दिशा में, जैसाकि मैंने अभी कहा कि मैंने माननीय मुस्लिम सांसदों तथा मुस्लिम समुदाय के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ विस्तृत वार्ताएं की तथा इस संबंध में

राज्य सरकारों में वक्फ के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन जून, 1992 में आयोजित किया ।

मुझे प्रसन्नता है कि इस संदर्भ में विस्तृत बातचीत के फलस्वरूप हम कुछ ठोस निष्कर्षों पर पहुंचे और इसी के आधार पर यह विधेयक बनाकर इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक में जम्मू-काश्मीर को छोड़कर पूरे देश में वक्फ कानून को एक समान रूप में लागू करने का प्रावधान किया गया है ।

इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों का सारांश संलग्न "उद्देश्यों एवं कारणों" के विवरण में देखा जा सकता है । फिर भी, मैं इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों को और अधिक लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक बनाना है । वक्फ बोर्डों के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन संबंधित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, राज्य अधिवक्ता, परिषद और मुतवल्लियों के सदस्यगण शामिल होंगे, जिनकी आय एक लाख रुपये वार्षिक अथवा इससे अधिक होगी ।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि मैंने इस विधेयक में संशोधन के लिए एक नोटिस भेजा है । हम केंद्रीय वक्फ परिषद में अखिल भारतीय मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय ख्याति के प्रशासक और आर्थिक मामलों में सक्षम व्यक्ति, लोक सभा एवं राज्य सभा के मुस्लिम सांसदगण, तीन वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों में से एक बारी बारी से, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों आदि को नामित, नामीनेट करेंगे, जिससे यह परिषद सुविस्तृत निकाय बनकर मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सके।

महोदय, वक्फ आयुक्त एवं वक्फ बोर्डों की शक्तियों को लेकर बहुत विवाद रहा है । अतः हमने इस विवाद को खत्म करने के लिए विधेयक में उपयुक्त प्रावधान किया है । अब वक्फ आयुक्त का नामकरण मुख्य अधिशासी अधिकारी कर दिया गया हैं और उसे ज्यादातर मामलों में वक्फ बोर्ड के अधीन रखा गया है ।

माननीय सदस्य जानते हैं कि अधिकांश वक्फ बोर्डों की माली हालत बहुत कमजोर है । वे अपने कर्मचारियों का वेतन देने की स्थिति में भी नहीं हैं । इसलिए इस विधेयक के पारित होने के पश्चात मुझे आशा है कि वक्फ बोर्डों की माली हालत में सुधार होगा ।

इस विधेयक में वक्फ अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है ताकि वक्फ संपत्तियों से संबंधित दीवानी विवादों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा हो सके और वक्फ संपत्तियों को बेवजह की मुकदमेंबाजी का शिकार न होना पड़े । इस विधेयक के पारित होने से वक्फ संपत्तियों का लेखा-जोखा भी व्यवस्थित ढंग से संभव हो सकेगा ।

महोदया, मैंने इस विधेयक की मुख्य-मुख्य विशेषताओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया है । माननीय सदस्य विधेयक पर चर्चा के दौरान जो भी रचनात्मक सुझाव देंगे, उनका स्वागत है। मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वास्त करना चाहूंगा कि इस विधेयक को विस्तृत चर्चाओं एवं विचारों के आदान-प्रदान के पश्चात बनाया गया है और जहां तक संभव था, हमने इसमें सर्वसम्मत सुझावों को शामिल किया है ताकि इस कानून के माध्यम से हम वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को बेहतर बनाकर वक्फ बोर्डों को समृद्ध बना सकें । मुझे विश्वास है कि वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रशासन और सदुपयोग से वक्फ बोर्डों की आय में इजाफा होगा जिससे मुस्लिम समुदाय का विकास संभव हो सकेगा ।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को संसद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का निवेदन करता हूं ।

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी वक्फ बिल को 10 साल के उपरांत माननीय मंत्री श्री केसरी जी ने सदन में प्रस्तुत किया है । इसके बारे में काफी मशक्कत करनी पड़ी, सलाह लेने पड़े, मीटिंग करनी पड़ी, इसके उपरांत यह बिल इस सदन में आया जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इस बिल में पहले जो बिल था वह शायद 1954 उसके बाद 15 साल के अंदर 1959, 1964 और 1969 में अमेंडमेंट हुए थे । फिर भी लोगों को सन्तोष नहीं हुआ । अरबों की सम्पत्ति वक्फ के अंतर्गत आती है और जहां सम्पत्ति होती है वहां मुकदमें भी होते हैं । जहां अरबों की संपत्ति होगी वहां लाखों में या सैकड़ों में, हजारों में मुकदमें भी सपत्ति के लिए चल रहे हैं ।

A wakf extinguishes the right of the wakf or the dedicator and transfers the ownership to God. All rights of the property vest in the Almighty. The mutawalli is the managers of the wakf. This is the definition. On this basis, you have got the property. (*Interruptions*) I was just saying that the mutawalli is only the manager of the wakf property. All property. (*Interruptions*)

I was just saying that the mutawalli is only the mangaer of the wakf property. All his right of ownership extinguishes and vests in the Almighty. With this end in view.

जहां पर अरबों की सपत्ति हैं हजारों के मुकदमें चल रहे हैं वास्तव में यह जरुरी हो जाता है कि इनके इंतजाम के लिए ऐसे बिल बनाए जाएं, ऐसे कानून बनाए जाएं, जिससे कि उनका अच्छा इंतजाम हो सके उसकी भलाई हो सके क्योंकि वक्फ की प्रापर्टी लोगों की भलाई के लिए दी जाती है धार्मिक कार्य के लिए दी जाती है और जिससे गरीबों का भला हो सके और भलाई के काम हो सकें । इसमें मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया हूं । क्लाज 3 की परिभाषा में, बैनिफिशरी की डेफिनीशन में ।

"Not being an authorised occupant, tenant or lessee in the wakf."

जिस से कि इसमें अन-अथॉराइज्ड लोगों को बेनिफिट न मिल सके । जो एनक्रॉचमेंट कर के रह रहे हों, ऐसे लोगों को बेनेफिट से वंचित रखा जाए ।

In Clause 3(r) "wakf" means a permanent dedication by a member professing Islam having movable or immovable property, including property attached and business profit accrued thereon."

महोदया कभी-कभी वक्फ प्रॉपर्टी के साथ दुकानें बनायी जाती हैं । उन का किराया मुतावल्ली खुद लेता है और वक्फ उस को शा नहीं करता । इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए मैंने सजेशन दिया हैं कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के साथ अटैच्ड हो, दुकानें बनी हों और जिन का कि रेंट वसूल किया जा रहा हो, वह भी वक्फ के अंतर्गत आ जायें । उसी प्रकार से ग्राट्स में, ग्रांट्स के साथ ही—

'In "grants", including mashrut-ul-khidmat for any purpose. Grant made verbally or through any deed, instruments in writing by a person."

इस को मैंने एड करने के लिए सुझाव दिया है ।

In Clause 6, page 5, paragraph 5:

"On and from the commencement of the Act in a State, no suit or other legal proceeding shall be instituted or commenced in a court in that State in relation to any question referred to in sub-section (1)."

उस में "अ" मैंने एड करने के लिए सुझाव दिया है ।

"When all cases of Wakf property pending in the court of law, rent court, slum court should be transferred to the tribunal,

मैडम, अभी दिल्ली किराया संबंधी जो बिल आया था, उस में 3(एच) में यह लिखा हुआ है कि रिलीजियस या ट्रस्ट्स की प्रॉपर्टीज रेंट के परव्यू से बाहर रखा जाएगी । उसी अनुसार मैंने यह सजेशन दिया है कि जितने भी रेंट के केसेज हैं, जितने भी सिविल कोर्ट के केसेज हैं, स्लम के केसेज हैं, वह ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर हो जाए ।

मैडम, इसमें 14 क्लॉज में मेंबरशिप की बात कही गयी है —

14. (1) The Board for a State and the Union Territory of Delhi shall consist of—

(a) a Chairperson.

उसमें एक ग्रायटम छोटा हुग्रा है । मेरा सजेशन यह है कि जो लोग सजस्ट किए गए हैं उन में

One Member to be nominated by the State Government representing the Sajjada Nashin

जितने भी दरगाह हैं उनमें इम्पोर्टेन्ट लोग रहते हैं धार्मिकलोग रहते हैं। उनके भी
4P.M. लोग उनमें से नोमिनेट किए जाए तो उससे काफी कमी पूरी हो जाएगी ।

"No suit or other legal proceedings shall lie in any civil court in respect of any dispute question or other matter relating to any wakf, wakf property or other matter which is required by or under this Act to be determined by a Tribunal."

इसमें रेण्ट कोर्ट और स्लम कोर्ट की भी ऐड करने की ग्रमेंडमेंट मैंने दी हुई है। फिर, लिमिटेशन के बारे में जो क्लॉज 108 में दिया हुग्रा है—

"Notwithstanding anything contained in the limitation Act, 1963, the period of limitation for any suit of possession of immovable property comprised in any wakf or possession of any interest in such property shall be a period of thirty years...".

इसमें मेरा कहना यह है कि

The period of limitation shall not apply.

यह इसमें जोड़ा जाए । जो इसमें 30 ईयर का दिया हुग्रा है, उसको जगह पर किया जाए—

"For such properties, the period of limitation shall not apply."

इस क्लॉज में जो ग्राखिरी सेण्टेन्स है लाइन 29 से 31 तक, इसको ग्रोमिट किया जाए ।

इन्हीं सुझावों के साथ है ग्रपनी बात खतम करता हूं ।

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Madam Deputy Chairman, I welcome the Wakf Bill, 1993 and I congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Minister of Welfare, Shri Sitaram Kesriji, on bringing a comprehensive Bill which was promised in the election manifesto of the ruling party.

Madam, the Wakf law has been in force in this country for the last 40 years and for the first time, a comprehensive legislation was enacted in 1954 with an effort to bring all the Wakf properties under a common administration and the Wakf Board. Though the Wakf Act has been in force for the last 40 years, we have seen that the present Wakf Act has not achieved the purpose for which it was enacted. From 1970 onwards, an effort is being made to bring a comprehensive Bill. At last, after 25 years, we have seen a comprehensive legislation which would, to a greater extent, mitigate the difficulties faced bay the wakf administration.

A major problem of the wakf institutions is that properties worth thousand and lakhs of rupees, of

wakf institutions, are being encroached upon; misused and are in illegal occupation. Unless the legislation addresses itself to removing the encroachment, illegal occupation, any effort will not be of any use. I would like to mention here that Smt. Indira Gandhi, our late beloved Prime Minister, had issued a direction in 1977 that wakf properties which were encroached upon should be freed from encroachment and if the Government had encroached upon any property, it should give back the property to the Wakf Board; and in case, it was not able to vacate the property encroached upon by it, the Government should compensate. I would like to mention that these directions are not adhered to and, today, the largest encroachment of wakf properties is by the various State Governments and the Central Government, I appeal to the hon. Minister of Welfare to look into this matter because thousands of properties are under the control or encroachment of the Government itself. If they are not freed, this Bill will not fulfil the entire aspirations of Muslims who want to see that through the Wakf, properties are developed and the income generated is used for the educational and economic uplift of the community. With this direction in view. I have suggested a few amendments to the Act.

The first amendment which I have suggested is to clause 20. This clause, in effect, provides that the Chairman can be removed if he refuses to act according to the State Government's direction. The very purpose of this Act is that there should be autonomy to the Wakf Board. But here, this clause provides that if the Chairman of the Wakf Board refuses to act on the direction of the State Government, he can be removed. It will affect the autonomy intended. Therefore, I have suggested that the words "refuses to act" should be taken away. Now, the Chairman is elected by members and the Government can remove the Chairman; but the members who elect him have no power to remove him even by a majority. So, there should be a provision for enabling the members to pass a vote of no-confidence against the Chairman with at least two-thirds of the members of the Board. If such a vote of no-confidence is passed, the Chairman should be removed.

Then, whenever a vacancy arises for membership, the Government has the power to nominate a person. One of the important features of this Bill is that a democratic system has been introduced in which there are various categories of persons who will be elected. I have suggested that whenever a vacancy occurs, that vacancy should be filled by a person from the particular category to which the person who caused the vacancy belonged. For example, if the vacancy is caused by a person from the category of 'mutawalli', only a 'mutawalli' should be nominated; if the vacancy is from the category of elected representatives or legislators, only a legislator should be appointed or elected. This has not been looked into. This thing is missing in the Bill and this is one thing which I have suggested. Then, as the hon. Minister has rightly said, in this Bill, there is a provision that the Wakf Board property should be developed. If they are having properties, which are capable of being developed, the Wakf Board can give a notice to the Mutawalli that if he is not going to develop the property, then the Wakf Board can itself develop the same. Today, the Wakf Board does not have adequate infrastructure. They have to do a lot of administrative work. I have suggested that the Government should make a provision in the Bill that the State

can create a Wakf Development Authority or a Wakf Development Corporation to develop the properties of the Wakf Board. Otherwise, the Wakf Board itself would not be able to raise resources for the development of the property and what is going on for the last forty years, will go on in future also. In this Bill, there is no provision for raising resources and the Wakf Board itself cannot raise resources. So, I have suggested that an authority should be created for the development of the Wakf Board's property.

Another amendment I have suggested is that now all the receipts of the Wakf Board will go into the Wakf Fund and all the expenditure will be incurred from that Fund. So, the Wakf Board will have no obligation or accountability. I would suggest that out of the total receipts, they should earmark a certain percentage of the fund for the educational upliftment of the community. Now, the entire amount which the Board is getting, will be credited to the fund and out of that, all the expenditure—administrative and other expenses—will be incurred. There is no provision to show how the Wakf Board will be able to spend for various other activities if the fund is not reserved. For example, or the maintenance of a divorced woman, under the Act; there is an obligation to pay through the Wakf Board. Now, from where is the Wakf Board going to pay unless it creates a special fund for that purpose? If they have to get the amount from the general fund, there will be no provision and the Wakf Board will not be able to meet educational obligation as well as this obligation.

Another aspect is that if the Wakf Board passes an order, then if the beneficiary is affected or whosoever is affected, they can appeal to the Government. Now, already the Wakf Tribunal has been created and a person can make a final appeal to the State Government only where he is not prohibited from going to the Tribunal. If you do not bring in that provision, a person will not go to the Tribunal but will go to the State Government by using the political influence and where he has to go to the Tribunal, he will go to the State Government and create a problem. So, I have suggested where there is no provision to go to the Appellate Tribunal, in such cases, the State Government should be approached for the purpose of appeal.

Another imortant amendment I have suggested is this. Now a single-member Tribunal has been created. There is only one member and no Tribunal, having a single member, can function effectively. So, my suggestion is that there should be at least three members in the Tribunal. One member should be a judicial member. The second member should be from the revenue side and should have knowledge of administration and the third one should be a person having deep knowledge of the Islamic law because it deals with various aspects of the Islamic laws. They will have to give decisions on the Islamic laws which are applicable to the various schools of thought. He should be a person who has the knowledge of all these laws and he should be an Advocate with at least ten years' standing with knowledge of Islamic laws' So, the Tribunal should have three members instead of a single member.

Madam, I am sure, the Government will consider some of these amendments which are very important for the effective implementation of this piece of legislation which is before this august House.

I once again welcome the Bill. It is a long-standing promise which the Government is fulfilling. I once again congratulate the Government. I support this Bill and appeal to the hon. Minister to consider the amendments which I have moved. (ends)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Of course, the next speaker is Shri Afzal but Mr. Jagmohan has to attend a meeting. He wants to speak first.

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Madam, I have only one or two points to make. Thank you very much, Madam, for giving me time out of turn.

Madam, when the hon. Minister was speaking, it was mentioned that these were the advantages you want to achieve. One was that it would make the working of our democratic system more accountable. It would have a more funded administration, a better run administration, better resources and better capacity to develop. Now all these points apply equally to Jammu and Kashmir properties. Why don't you extend this law there? Why don't you make those institutions also more democratic, more accountable and more resource-oriented? A law which is applicable to the rest of the Muslims, why shouldn't we make it applicable to those four million Muslims living in that State? I do not understand what the special thing is that is prevalent there so far as this aspect is concerned. Therefore, my request is, since we are now having President's Rule, we are having Central legislation, we should extend this Act there. I know from my experience that quite a lot of properties are in the hands of some wakfs, there is a lot of litigation, there is a lot groupism and people are trying to control you know that it has a lot of income these wakfs like the Baba Rishi. But you know that it has a lot of income from Baba Rishi and that is being misused and there is a political tussle between people on this. So I would suggest that if you want to insulate the administration of wakfs from politics, why don't you insulate them in Jammu and Kashmir also? Therefore, this is my suggestion and my request that you may extend this Act to Jammu and Kashmir also. It will give you a lot of benefit for the community, for the poor people of Jammu and Kashmir and for a better administration of those properties.

Jammu and Kashmir, as you know, Madam, is also a tourist-oriented economy and if we are able to develop those areas properly, it will fetch more income. For example, if you develop this Baba-Rishi properly, you will have a lot of tourist going to that area. It is a very beautiful spot, apart from the people going there for pilgrimage. I have always quoted an example of Vaishnodevi where three lakh people used to go earlier. Now forty lakh people go there. So, it has changed the economy of that region. A multiple effect has taken place. A number of hotels have come up. A number of transport vehicles have come up. So many facilities have come up, and, as you know, the sales tax revenue has gone up. Everything has gone up. You can run the administration better. If you go there now, you will find poor sanitary conditions and people do not go there. So, very many people will go there if you really set up a gold administrative system there. It has got so may other advantages, but you are aware of them.

Another point which I have got is about encroachments on these properties. In Delhi a large number of wakf properties are encroached upon. You may pass the Bill, but how are you going to secure a vacant possession of those properties? This is going to expose you to a lot if litigation. Unless you make arrangements within the law itself, as to how to secure a speedy removal of encroachments and redevelopment of those properties, and unless you also set a Central principle of development of those properties, things will not improve.

There are historical monuments, religious monuments, and around them there is a property. It should not be only commercial exploitation. You should create a better environment around those monuments so that their life is enhanced ,the whole area is redeveloped and a face-lift is given to various things and it becomes also a landmark in the city's developed area. This is the second point which I want to place before you.

The third point is particularly applicable to very remunerative properties which have been taken over by powerful people. Our friend was suggesting appointment of a development authority for this. Ths will not work because you have limited funds, and if you create authorities and spend your limited resources on those authorities, it will not do. All this can be developed in accordance with the approved plan of the Wakf Board on agency basis. You can always get this work done on agency basis through the CPWD, PWD, developmental corporations and municipal corporations wherever these agencies are there. Instead of creating a new machinery for small work here and there you can use these existing machineries and pay small amount as departmental charge and they will do your work. If you create some new machinery that will become a permanent liability on your resources. So, this is another suggestion which I would place before you. These are the four points, Madam, which I want to place before the House. Thank you very much for giving this opportunity cut of turn be made.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत देर की मेहरबां आते-आते श्री सीताराम केसरी जी को मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं इसलिए कि मैं एक पार्लियामेंट के मेम्बर की हैसियत से नहीं बल्कि जातीय हैसियत से इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि केसरी जी पिछले तीन-चार साल से जब भी हमने उनसे वक्फ के इस बिल की बात की, उन्होंने हमेशा एक ख्वाहिश जाहिर की कि पहले आप लोग एक कंसैंस तैयार कर लें और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको आपकी ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक कानून को पास कराने में आपकी मदद करूंगा । मेरा ख्याल है कि बहुत सी जगहों पर मुझे एतराज करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमसे कमियां हुई लेकिन केसरी जी ने हमको बार-बार खटखटाया और बार-बार तवज्जो दिखाई कि मैं इसको करना चाहता हूं । मीटिंग्स बुलाई और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा कंसेसस ज्यादातर लोगों से लेने की उन्होंने कोशिश की । हिन्दुस्तान में मुसलमानों की जो आर्गनाइजेशन हैं, मुतावल्ली है, सज्जादा नशीन हजरात हैं, मुस्लिम पार्लियामेंट के मेम्बर्स है, एम.एल.ए. की हद तक और जो लोग पार्लियामेंट और असेंबलियों के बाहर हैं उन्हें भी उन्होंने कांटेक्ट किया और बात की । क्योंकि केसरी जी का जज्बा बड़ा जबर्दस्त है और मैं उनके मुंह पर नहीं बल्कि सारे देश को यह बात कहना चाहता हूं कि इस बिल के अंदर भी काफी कमियां हैं और उसकी तरफ अभी रहमान भाई ने इशारा किया और उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स भी मूव किए हैं और मैं समझता हूं कि केसरी जी उन पर भी हमदर्दी से गौर करेंगे । अगर काबिले कबूल हों तो उन्हें जरुर शामिल कर लें । लेकिन मैं आज यहां बोलते हुए जहां केसरी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वह यह बिल लेकर आए हैं और जिससे हमें उम्मीद हो चली है कि शायद वक्फ की हालत बेहतर होगी, वहीं मुझे इस सदन के द्वारा और हाउस के जरिए देश के मुसलमानों को भी एक बात कहनी है कि अगर वक्फ की करोड़ों-करोड़ों रुपये की इमलाक की तबाही का सबब कहीं-कहीं सरकार हुई है तो इस तबाही का सबसे बड़ा सबब वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग भी रहे हैं । सरकारी तौर पर मैं यह समझता हूं कि वक्फ की इमलाक के साथ नाइंसाफी हुई है लेकिन बोर्ड सब जगह बने हुए हैं । अफसोस का मकाम यह है कि कुछ रियासतों को छोड़कर, जैसे मैं कर्नाटक की मिसाल दे सकता हूं ज्यादातर सूबों के अंदर जो वक्फ बोर्ड बनाए जाते

हैं उसमें सियासी जमातों का और वहां के सियासतदाना का उन बोर्डस को बनाने में बड़ा हाथ रहता है। सीधे-सीधे नॉमीनेशन्स होते हैं लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं किया जाता कि यह मुसलमानों का बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम इदारा है जिसके जरिए उनकी हालत को, माशी हालत को उनकी समाजी हालत को और उनकी तालीमी हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अफसोस है, मैं दिल्ली की बात करता हूं। पिछले 30-40 साल से बोर्ड के मेंबर्स की लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए कि उसमें ऐसे लोगों को, जो भी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है जिन्हें सियासी तौर पर उनके गुरु कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकते। जब कुछ जगह नहीं मिलती उनको देने के लिए तब कहते हैं कि चलो तुम्हें वक्फ बोर्ड का मेंबर बना देते हैं। जो सतही लोग हैं जो जहनी तौर पर यह समझ नहीं सकते कि वक्फ का क्या मायने हैं और वक्फ का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कम्यूनिटी के बैटरमेंट के लिए उन लोगों को बना दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि करोड़ों की प्रापर्टी और अरबों की प्रापर्टी, जिनकी करोड़ों की आमदनी चाहिए, उनकी हजारों की आमदनी भी नहीं होती। चंद घर भर जाते हैं और पूरा वक्फ जो है वह बरबाद हो जाता है। दिल्ली इसकी जिंदा मिसाल है। लेकिन सरकार की तरफ से भी बहुत सारे एकदमात ऐसे होते हैं जो बड़े अफसोसनाक हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। दिल्ली में आज वक्फ की बहुत बड़ी संख्या में प्रापर्टीज हैं और बहुत सारी लैंड हैं। शायद हमारे बहुत सारे मेंबरान यह बात नहीं जानते कि यहां दिल्ली में एक फाइव स्टार होटल, जो निजामुद्दीन के करीब है, वह वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। दिल्ली का एक बड़ा पब्लिक स्कूल जो निजामुद्दीन में ही है, वह वक्फ की प्रोपर्टी पर बना हुआ है। मैं नहीं कह सकता कि जिस वक्त इन लोगों ने उसको अपने नाम किया या किराए पर लिया, उस वक्त क्या तरीका अपनाया। उस वक्त भी यह ग्रीन लैंड था और डी०डी०ए० के मुताबिक ये जमीनें ग्रीन लैंड थीं जिन पर कोई कन्स्ट्रेक्शन नहीं की जा सकती थी। लेकिन सलेक्टिव तरीके से कंसट्रक्शन कर लिया गया और ग्रीन लैंड खारिज कर दी गई। उस पब्लिक स्कूल के बराबर में आज भी एक बड़े कब्रिस्तान की जमीन पड़ी हुई है। उस जमीन पर मुस्लिम चारिटेबल एक आर्गनइजेशन है, जो स्कूल कायम करना चाहते हैं। उसके करीब ही एक मुस्लिम आर्गनइजेशन ने एक पब्लिक स्कूल कायम कर लिया जिसमें माइनारिजीज के लोग पढ़ते हैं। वे वहां पर चार कमरे बनाना चाहते हैं। मगर रोज डी०डी०ए० के लोग खड़े हो जाते हैं कि यह ग्रीन लैंड है, आप इसमें कमरे नहीं बना सकते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक मुल्क में दो कानून कैसे चल सकते हैं। कुछ लोगों को फाइव स्टार होटल बनाने की परमीशन है, वक्फ की जमीन पर, लेकिन जिस कम्युनिटी का वह वक्फ है, उसको वहां पर अपना स्कूल बनाने की भी परमीशन नहीं है कि यह ग्रीन लैंड है, आप यहां कमरे नहीं बना सकते, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। इसको आप कैसे रोकेंगे ? इसका समाधान कैसे करेंगे ? इसमें शायद बहुत ज्यादा इस बिल में तवज्जह नहीं दी जा सकी है। उसमें कुछ हमारी कमी भी है कुछ हमारी मजबूरियां भी हैं, जो हम लोग समझते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि वक्फ बोर्ड को जिस तरह से आपने बनाने की बात कही, कंस्टीट्यूट करने की बात कही तो वक्फ का इस्तेमाल उस वक्त और सही होगा जब उसमें जिन लोगों को देखभाल करके रखे जाए तो यह समझते हों कि इस वक्फ को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि कम्युनिटी के मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, हमारे एक बहुत ही वोकल मेंबर थे अबुल समद सिद्दकी, कर्नाटक से, वे बोरे जब जाते थे तो लोग उनसे बड़े नाराज जाया करते थे। वह कहते थे कि वक्फ की आमदनी वाकिफ की मंशा के साथ ही खर्च होनी चाहिए। तो उसमें एक

एतराज उठता था कि साहब दरगाहों की आमदनी जो है उसको हम किसी दूसरे काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वह तो दरगाह को ठीक करने के लिए है, हमको मस्जिद ठीक करनी है। तो यह कह करते थे कि दरगाह की आमदनी जो वहां पर चढ़ावा चढ़ता है, सभी लोग जाकर चढ़ाव चढ़ाते हैं। तो जब यह आमदनी है तो उसको आप एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर खर्च क्यों नहीं करते। तो हमारे कुछ लोग जो इस मामले में ज्यादा एतिहाद पसंद हैं तो वह एतराज उठाए करते थे कि भाई वाकिफ की मंशा पहले देख ली जाए उसके हिसाब से देखा जाए। अब प्राबलम यह है कि अगर पुराने वक्फ उठाकर देख ली जाए तो चूंकि तालीम का तस्सवुर वह नहीं है जो आज है तो वाकिफ की मंशा यही होती थी कि भई मेरा यह मकान है, मैं इसे वक्फ करता हूं। इसका किराया मस्जिद में लगा दें और इमाम की तनख्वाह में लगा दें। ज्यादातर जो थे, तो उस समय वाकिफ की मंशा यह रही थी। लेकिन आज हालात बदल गए हैं आज हिन्दुस्तान के मुसलमानों को मस्जिद के साथ साथ स्कूलों की जरूरत है। आज उनको तालीम और अपनी मंआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए वक्फ बोर्ड के इस्तेमाल की जरूरत है। लेकिन वाकिफ की मंशा लगा करके मुतवल्ली और सज्जादा-नसीन हजरात जो हैं, वह कभी कभी इस किस्म का माहौल पैदा करते हैं जैसे कि अगर कोई बात करें कि इनको एजूकेशन के लिए इस्तेमाल करें तो कहते हैं कि यह हमारे इस्लाम में मुदालखत शुरू हो गयी है, मुस्लिम पर्सनल ला में मुदालखत है।

श्री हच० हनुमनतप्पा (कर्णाटक) : पर्सनली मिसयूज कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : लेकिन पर्सनल ला जो है उसका नाम लेकर पर्सनली मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन केसरी जी ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने पिछले दिनों बड़ा आदान-प्रदान किया, काफी लोगों से बातचीत की। उन्होंने खुद महसूस किया कि अब वह थिंकिंग नहीं है नयी मुस्लिम लीडरशिप की। वक्फ की प्रोपर्टी पर अगर सरकार त्वज्जोह दे, मैं तो सरकार से कहता हूं कि दिल्ली में आज दो सौ प्रोपर्टीज हैं। 1983 के अन्दर जब राजीव गांधी साहब वजीरेआजम थे उन्होंने एक बार कुछ प्रोपर्टीज को निकाला था जो सरकारी कब्जे में थी उनको खत्म करने की बात कही थी। अनफारचुनेटली जब यह आर्डर आया तो कुछ लोग तैयार बैठे हुए थे, मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, विश्व हिन्दू परिषद् से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कोर्ट में स्टे ले लिया। 1983 के बाद आज 1995 हो गया है, 12 साल हो गये हैं आज वह मुकदमा कहां पर है। दो सौ प्रोपर्टीज हैं, सरकार का आर्डर कहां है, क्यों तारीखें नहीं लगती हैं, क्यों मुकदमे की तारीखें नहीं भुगताई जाती हैं, क्यों इस मामले को नहीं देखा जाता है ? यह मेरी समझ से बाहर है। मैं तो अपने बी.जे.पी. के भाइयों से कहूंगा। राम रतन राम जी ने बड़े जज्बे के साथ अमेंडमेंट दिये हैं। आपकी पार्टी का भी यही जज्बा होना चाहिये। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं आपका असर रसूख है तो आप विश्व हिन्दू परिषद् के उन हजरात से कहिये कि यह वक्फ की प्रोपर्टीज हैं या नहीं है। सरकारी कब्जा है। अगर किसी प्राइवेट इंडिवजुअल का कब्जा होता तो शायद एतराज की बात हो सकती थी। सरकार का कब्जा है अगर सरकार ने अपनी खुशी से कहा कि वक्फ की प्रोपर्टी वापिस कर दें तो दिल्ली के वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ेगी। इससे हो सकता है कि दो चार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेचारे जो चला रहे हैं उससे बेटर अपर्चुनिटीज मिलेंगी, ज्यादा खिदमत कर पाएंगे लेकिन उन्होंने स्टे ले लिया और उसके ऊपर कह दिया कि यह तो गलत कर रही है सरकार, इस पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, इसलिए वही कानून का इतलाक होना चाहिये जो आम प्रोपर्टीज पर होता है। मैं तो राजीव गांधी साहब का जो जज्बा था उसकी कद्र करता हूं इखतलाफ के बावजूद, कई काम उन्होंने ऐसे करने की कोशिश की लेकिन हमारे दूसरे हजरात ने रोड़ा अटकाया। आज अगर मुसलमान वक्फ प्रोपर्टीज को किसी तरह

से बागुजार करके उसकी आमदनी को बढ़ा कर के तालीम के काम में या किसी बेटर काम की तरफ जा रहे हैं तो देश की खिदमत कर रहे हैं। हमें तो स्कूल चाहियें। ऐसे ऐसे गांव मैं आपको दिखा सकता हूं जहां मुस्लिम आबादी 75 फीसदी है लेकिन प्राइमरी स्कूल नहीं है। मेरा कहना यह है कि प्राइमरी स्कूल देना तो सरकार का काम है। अगर सरकार किसी वजह से नहीं दे पाती है, अगर वक्फ बोर्ड वहां पर सस्कूल खोलना चाहता है, उसकी आमदनी से चलाना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है मैं दिल्ली के दो स्कलो को जानता हु जिसको इन मदारों ने चलाया, वह दिल्ली एडमिनिस्ट्रशन से परमिशन माग रहे हैं। हर रुल रेगुलेशन को पुरा कर रहे है, तनख्वाहें पूरी दे रहे है, जो रेगुलेशंस है उनको पूरा कर रहे हैं, इन स्कूलों को आप मान्यता प्रदान कर दीजिये लेकिन तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच, दस-दस साल लग जाते हैं, आप हाई स्कूल को रिकोनाइज नहीं करते हैं। यह कोई एंटी नेशनल काम तो नहीं हैं बच्चों को पढ़ाना। यह तो सरकार का हाथ बटा रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिये वह आगे बढ़ कर के करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई सोशल आर्गेनाइजेशन कोशिश कर रही है। मे यह कहना चाहता हूं कि कानून तो आप लाए हैं। कानून की मदद बड़ी जरूरी है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कानून के साथ, आपके काम करने की विल भी होनी चाहये। यह नहीं कि एक तरफ से लाए और दूसरी तरफ से कोई दूसरा रास्ता दिखा कर रोक लिया। जो काम होता है उसको रोक दिया, दूसरी तरफ से कुछ लोगों को पकड़ लिया, काम नहीं होने दिया।

मैंने आपको एक मिसाल दी है। ऐसी मिसालें और भी हिन्दुस्तान में मिल जाएंगी। बहुत से कब्रिस्तान है, बहुत सी दरगाहें हैं, जमीने हैं वक्फ बोर्ड की, हरियाणा के अन्दर जमीनें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सात-आठ साल पहले मैं पंजाब गया था, वहां पर मैंने देखा कि वक्फ बोर्ड के पास 40–40 लाख रुपये पड़ा हुआ है। सिकन्दर बख्त साहब भी जिक्र कर रहे थे। आमदनी करोड़ों रुपये की होनी चाहिये थी लेकिन सिकन्दर बख्त साहब, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे, सरकारी मलाजिम थे जज्बे वाले आदमी थे और चाहते थे कि एजुकेशनल इस्टीट्यूशन बन जाए। वह उस 40–45 लाख रुपये से एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे। लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी कि वक्फ बोर्ड का पैसा चूंकि आप तालीम पर यहां खर्च नहीं कर सकते हैं चूंकि वाकिफ की मशा नहीं है इसलिए आप वह स्कूल नहीं बना सकते हैं। लिहाजा वह पैसा वहीं पड़ा रहा। हरियाणा में एक बनता बनाता इंजीनियरिंग स्कूल नहीं बन सका। आज मुझे अब्दुस समद सिद्दीकी साहब याद आ रहे हैं जो वक्फ की लड़ाई लड़ते थे और मुतवल्लियों के, सज्जादानशीनों के बहुत ज्यादा जूते भी खाते थे बेचारे। जब वहा जाकर बोला करते थ और कहते थे कि दरगाह की आमदनी एजूकेशन पर खर्च करो तो लोग कहते थे कि भाई यह देखो मुस्लिम पर्सनल ला में मदाखलत करने चला है यह शख्स। मुतवल्लियों को मालूम है कि वाकिफ की मंशा क्या है। वे तो उसी हिसाब से खर्च करेंगे। वाकिफ की मंशा जो है उसको कैसे व एट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करते हैं यह तो वे मुतवल्ली हजरात ही जानते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि आम आदमी को उससे लाभ बहुत कम होता था।

हमने खुद भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए मैं आज इस अजीम ऐवान के जरिए से हिन्दुस्तान में रहने वाले अपने जो मुसलमान भाई हैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने भी बहुत सी जगहों पर कब्जा किया है लेकिन हमने अपनी मस्जिदों के अंदर कैबरे तक के होटल खुलवाए हैं। ये काम हम ही लोगो ने किए हैं। ऐसे लोगों के गिरेवान पकड़ने चाहिए। ऐसे लोगों को कभी वक्फ बोर्ड का मेम्बर नहीं बनने देना चाहिए। दिल्ली के अंदर ऐसी मस्जिदें हैं करोल बाग के अंदर जहां पर अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं और बेचनेवाले हम खुद हैं। इसलिए अगर दुसरों से कुछ तवक्को करें तो सबसे पहले अपने यहां से भी कुछ शुरू करना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि केसरी जी यहां बैठे हुए हैं, हमेशा इस मुल्क में अगर 45–50 साल से सरकारें चल रही हैं तो उनमें ज्यादातर आपका

हिस्सा रहा है, आप देखिए कि वक्फ के मेम्बरान कैसें लोगों को बनाया ग या । मैं आपसे कहता हूं कि वक्फ बोर्ड का मेम्बर जब बनता है उसका घर देख लीजिए और वक्फ, बोर्ड की मेम्बरी से हटने के बाद उसका घर देख लीजिए । आपको फर्क पता लग जाएगा कि कितनी सर्विस की है उसने । अपनी सर्विस खूब करते हैं व। इसलिए जो कानून आप लाए हैं इसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं । कमी है इसमें लेकिन उस कमी को भी मैं तो कहना हूं कि कम से कम आप एक्योर करिए ।

दूसरी बात यह है, मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा केसरी जी । आपने 2–3 मुद्दे पिद्ले 3-4 साल में उठाए हैं । एक मुद्दा आप वक्फ के मामले में बिल्कुल सिंसियरली 3–4 साल से उठा रहे हैं । इसे कोई इलेक्शन स्टैंट नहीं कह सकता । आज एकाध मामले को लेकर शहर में पोस्टर लगे हुए हैं कि इलेक्शन स्टंट है । कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स फलां चीज का क्रेडिट ले रहें है ताकि वोट की पालिटिक्स की जा सके । म आपोजीशन का होकर इस बात को कहने के लिए तैयार हूं कि केसरी जी अगर यह बिल लाए हैं तो इनकी नेकनीयत है और इस पर किसी को शुबहा नहीं करना चाहिए । यह कोई इलेक्शन स्टंट नहीं हैं । लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि इसका हश्र व न हो जो 1984 क अंदर जो एक एक्ट आप लाए थे उसका हुआ था । दोनों हाउसेज से पास हुआ था, सदरे मोहतरम के दफ्तर में जाकर वह कानून कहां चला गया आज तक पता नहीं । 10 साल गुजर गए । मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका पूरा एफ्र्ट यह होना चाहिए कि यह राज्य-सभा से भी पास हो, लोक सभा से भी पास हो और सदर साहब के दस्तखत होकर कानून बनकर लोगों तक पहुंच जाए । इसही बात यह कहूगा ।

उपसभापति : अब आगे दूसरे लोगों को बोलना है ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल बस मैडम, आखिरी बात कहकर खत्म कर देता हूं । एक ही मेरा सजेशन इसमें है । जो रहमान साहब ने अमेंडमेंट दिए हैं म मुकम्मिल इत्तिफाक के साथ यह कहना चाहता हूं कि सारी जो वक्फ प्रापर्टीज हैं उनको आप रेंट कंट्रोल एक्ट से मुसतसना कर दें, उससे निकाल दें और उन पर पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट जो गवर्नमेंट की प्रापर्टीज पर लागू होता है लागू कर दे चूंकि सरकार ही इसको देख रही हैं । अगर सरकार यह समझती है कि वक्फ की प्रापर्टी कम्युनिटी की प्रापर्टी है उसका इस्तेमाल पूरी कम्युनिटी के लिए होता है तो देश का भी फायदा होता है इसलिए इसका इतिलाक वक्फ की प्रापर्टीज के ऊपर पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट की प्रापर्टीज पर लागू किया जाता है वही इतिलाक इसमें होना चाहिए । ऐसा अमेंडमेंट डालकर इसको करा दें, यह काम करा दें जो मैंने लास्ट में कहा है तो आपका नाम सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा ऐसा मुझे यकीन है ।

मैं आखिरी में इसको सपोर्ट करते हुए आपक शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस बिल को लेकर आए हैं । मैं सरकार का चाम करता जाती तौर पर आपके एफ्र्टस का ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं ।

†[شری محمد افضل عرف م - افضل :
"اتر پردیش" : میڈم - میں یہی کہونگا کہ
بہت دیر کی مہربان آتے آتے - شری سیتارام
کیسری جی کو بہت بہت میں مبارکباد دیتا
ہوں اسلئے کہ میں ایک پارلیمنٹ کے
ممبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ذاتی حیثیت
سے اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا
ہوں کہ کیسری جی پچھلے تین چار سال سے جب
بھی ہم نے ان سے وقف کے اس بل کی بات کی -
انہوں نے ہمیشہ ایک خواہش ظاہر کی کہ
پہلے آپ لوگ ایک کنسینسس تیار کریں
اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسکو
آپکی خواہش اور منشا کے مطابق قانون
کو پاس کرانے میں آپکی مدد کرونگا -
میرا خیال ہے کہ بہت سی جگہوں پر -
مجھے اعتراف کرنے میں کوئی دقت نہیں
ہے کہ ہم سے کمیاں ہوئیں - لیکن کیسری جی
نے مجھکو بار بار کھٹکھٹایا اور بار بار
کھٹکھٹایا اور بار بار توجہ دلائی کہ میں
اسکو کرنا چاہتا ہوں - مینگلس بلائی اور
میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کنسینسس
زیادہ تر لوگوں سے لینے کی انہوں نے کوشش
کی - ہندوستان میں مسلمانوں کی جتنی
آرگنائزیشنس ہیں - متولی ہیں - سجادہ

نشین حضرات ہیں - مسلم پارلیمنٹ
کے ممبرس ہیں - ایم ایل - ایز - کی حیثیت
اور جو لوگ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں
کے باہر ہیں انہیں بھی انہوں نے کنسلٹ
کیا اور بات کی - کیونکہ کیسری جی کا
جذبہ بڑا زبردست ہے اور میں انکے
منہ پر نہیں بلکہ سارے دیش کو یہ بات
کہنا چاہتا ہوں کہ اس بل کے اندر بھی
کافی کمیاں ہیں اور اسکی طرف ابھی رحمان
بھائی نے اشارہ کیا اور انہوں نے کچھ
امنڈمینٹس بھی موو کئے ہیں اور میں
سمجھتا ہوں کہ کیسری جی ان پر بھی گہرائی
سے غور کرینگے - اگر قابل قبول ہوں تو
انہیں ضرور شامل کریں - لیکن میں آج
یہاں بولتے ہوئے جہاں کیسری جی کا شکریہ
ادا کرتا ہوں کہ وہ یہ بل لیکر آئے ہیں
اور جس سے ہمیں امید ہو چلی ہے کہ شاید
وقف کی حالت بہتر ہوگی - وہیں مجھے
اس سدن کے دوارا ہاؤس کے ذریعے
دیش کے مسلمانوں کو بھی ایک بات
کہنی ہے کہ وقف کی کروڑوں کروڑوں
روپئے کی املاک کی تباہی کا سبب کہیں
کہیں سرکار ہوئی ہے تو اس تباہی کا
سب سے بڑا سبب وقف بورڈ سے

†[ ]Transliteration in Arabic Script

گروہیں اور ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ جب کچھ جگہ نہیں ملتی انکو دینے کیلئے۔ تب کہتے ہیں کہ چلو تمہیں وقف بورڈ کا ممبر بنا دیتے ہیں۔ جو سطحی لوگ ہیں۔ جو ذہنی طور پر یہ سمجھ نہیں سکتے کہ وقف بورڈ کے کیا معنی ہیں۔ اور وقف کا کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کیلئے۔ ان لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں روپئے کی پراپرٹی اور اربوں کی پراپرٹی۔ جنکو کروڑوں کی آمدنی ہونی چاہیئے۔ جنکو مگر بھر جاتے ہیں۔ اور پورا وقف جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ دلّی اسکی زندہ مثال ہے۔ لیکن سرکار کی طرف سے بھی بہت سارے اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے افسوس ناک ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ دلّی میں وقف کی آج بہت بڑی سنکھیا میں پراپرٹیز ہیں اور بہت سارے لینڈز ہیں۔ شاید ہمارے بہت سارے ممبران یہ نہیں جانتے کہ یہاں دلّی میں فائیو اسٹار ہوٹل۔ جو نظام الدین کے قلب میں ہے وہ وقف کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ اور دلی کا ایک بڑا پبلک اسکول جو نظام الدین میں ہی ہے۔ وہ وقف کی پراپرٹی پر بنا ہوا ہے۔ جڑے ہوئے لوگ بھی رہے ہیں۔ سرکاری طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقف کی املاک کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن بورڈ سب جگہ بنے ہوئے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ جیسے میں کرناٹک کی مثال دے سکتا ہوں زیادہ تر صوبوں کے اندر جو وقف بورڈ بنائے جاتے ہیں اسمیں سیاسی جماعتوں کا اور وہاں کے سیاست دانوں کا ان بورڈس کو بنانے میں بڑا ہاتھ رہتا ہے۔ سیدھے سیدھے نامینیشن ہوتے ہیں لیکن کبھی اس بات پر غور نہیں کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا بہت ہی مینیٹو اور بہت ہی اہم ادارہ ہے جسکے ذریعے انکی حالت کو۔ معاشی حالت کو۔ انکی سماجی حالت کو اور انکی تعلیمی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے میں دلّی کی بات کرتا ہوں۔ پچھلے تیس چالیس سالوں سے بورڈ کے ممبرس کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اسمیں ایسے لوگوں کو۔ جو بھی سرکار رہی ہو۔ کسی کی بھی سرکار رہی ہو۔ اسمیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو وقف بورڈ کا ممبر بنایا جاتا ہے۔ جنہیں سیاسی طور پر انکے

میں نہیں کہہ سکتا کہ جسوقت ان لوگوں نے اسکو اپنے نام کیا یا کرائے پر لیا اسوقت کیا طریقہ اپنایا - اسوقت بھی یہ گرین لینڈ تھا - اور ڈی - ڈی - اے کے مطابق یہ زمینیں گرین لینڈ تھیں جن پر کوئی کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی - لیکن سلیکٹیو طریقہ سے کنسٹرکشن کر لیا گیا - اور گرین لینڈ خارج کر دی گئی - لیکن اس پبلک اسکول کے برابر میں آج بھی ایک بڑے قبرستان کی زمین پڑی ہوئی ہے - اس زمین پر مسلم جیری تقبل ایک آرگنائزیشن ہے جو اسکول قائم کرنا چاہتی ہے - اس قریب ہی ایک مسلم آرگنائزیشن نے ایک پبلک اسکول قائم کر لیا ہے - جسمیں مائنارٹیز کے لوگ پڑھتے ہیں - وہ وہاں پر چار کمرے بنانا چاہتے ہیں - مگر روز ڈی - ڈی - اے کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ گرین لینڈ ہے آپ اسمیں کمرے نہیں بنا سکتے ہیں - یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ملک میں دو دو قانون کیسے چل سکتے ہیں - کچھ لوگوں کو فائیو اسٹار ہوٹل بنانے کی پرمیشن ہے وقف کی زمین پر - لیکن جس کمیونٹی کا وہ وقف ہے - اسکو وہاں پر اپنا اسکول بنانے کی بھی پرمیشن نہیں ہے کہ گرین لینڈ ہے آپ یہاں کمرے نہیں بنا سکتے - اپنے بچوں کو پڑھنے کیلئے نہیں بھیج سکتے - اسکو آپ کیسے روکیں گے - اسکا سمادھان کیسے کریں گے - اسمیں شاید بہت زیادہ اس بل میں توجہ نہیں دی جا سکتی ہے اسمیں کچھ ہماری کمی بھی ہے - کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہیں - جو ہم لوگ سمجھتے ہیں - لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وقف بورڈ کو جس طرح سے آپنے بنانے کی بات کہی ہے کانسٹی ٹیوٹ کرنے کی بات کہی تو وقف کا استعمال اسوقت صحیح ہوگا جب اسمیں جن لوگوں کو دیکھ بھال کرنے رکھا جائے - جو یہ سمجھتے ہوں کہ اس وقف کو ذاتی مفادات کے لئے استعمال نہیں کرنا ہے - بلکہ کمیونٹی کے مفاد کیلئے استعمال کرنا چاہئے - مجھے یاد آرہا ہے - ہمارے ایک بہت ہی وہ کل ممبر تھے عبدالصمد صدیقی کرنا ٹک سے - وہ بیچارے جب جاتے تھے تو لوگ ان سے بڑے ناراض ہو جایا کرتے تھے - تو وقف کی آمدنی وقف کی منشا کے مطابق ہی خرچ ہونی چاہئے - تو اسمیں ایک اعتراض اٹھتا تھا کہ صاحب درگاہوں کی آمدنی

جو وہاں چڑھاوا چڑھتا ہے۔ سبھی لوگ جاکر چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ تو جب یہ آمدنی ہے تو اسکو آپ ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنس پر کیوں نہیں خرچ کرتے۔ تو ہمارے کچھ لوگ جو اس معاملے میں زیادہ انتہا پسند ہیں تو وہ اعتراض اٹھایا کرتے تھے کہ بھائی واقف کی منشا پہلے دیکھی جائے اسکو حساب سے دیکھا جائے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر پرانے وقف اٹھاکر دیکھے جائیں تو چونکہ تعلیم کا تصور وہ نہیں ہے جو آج ہے۔ تو واقف کی منشا یہی ہوتی تھی کہ بھئی میرا مکان ہے۔ میں اسے وقف کرتا ہوں اسکا کرایہ مسجد میں لگادیں اور امام کی تنخواہ میں لگادیں۔ زیادہ وقف بورڈ جو تھے۔ تو اس سے واقف کی منشا یہ رہی تھی۔ لیکن آج حالات بدل گئے ہیں۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو مسجد کے ساتھ ساتھ اسکولوں کی بھی ضرورت ہے آج انکو تعلیم اور اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کیلئے وقف بورڈ کے استعمال کی ضرورت ہے لیکن واقف کی منشا لگا کرکے متولی اور سجادہ نشین حضرات جو ہیں وہ کبھی کبھی اس قسم کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں کہ انکو ایجوکیشن کیلئے استعمال کریں تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلام میں مداخلت شروع ہو گئی ہے مسلم پرسنل لا میں مداخلت ہے۔

شری ایچ ہنومن تھیا: پرسنلی مس یوز کر سکتے ہیں۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: لیکن پرسنل لا جو ہے اسکا نام لیکر پرسنلی مس یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن کیسرماجی نے اس بات کو محسوس کیا اور انھوں نے پچھلے دنوں بڑا آدان پردان کیا۔ کافی لوگوں سے بات چیت کی۔ انھوں نے خود محسوس کیا کہ اب وہ تھنکنگ نہیں ہے۔ نئی مسلم لیڈرشپ کی۔ وقف پراپرٹی پر اگر سرکار توجہ دے۔ میں تو سرکار سے کہتا ہوں کہ دلی میں آج دو سو پراپرٹیز ہیں۔ ۱۹۸۳ کے اندر جب راجیو گاندھی صاحب وزیر اعظم تھے انھوں نے ایک بار کچھ پراپرٹیز کو نکالا تھا جو سرکار کے قبضے میں تھیں۔ انکو ختم کرنے کی بات کہی تھی۔ ان فار چونیٹلی جب یہ آرڈر آیا تو کچھ لوگ تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انکا نام بھی لے سکتا ہوں۔ وشو ہندو پریشد

سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کورٹ سے
اسٹے لے لیا۔ ۱۹۸۳ کے بعد آج 1995
ہو گیا ہے۔ ۱۲ سال ہو گئے ہیں۔ آج وہ
مقدمہ وہاں پڑا ہے۔ دو سو پراپرٹیز ہیں
سرکار کا آرڈر کہاں ہے۔ کیوں تاریخ نہیں
لگتی ہے۔ کیوں مقدمے کی تاریخیں نہیں
بھگتائی جاتی ہیں۔ کیوں اس معاملے کو نہیں
دیکھا جاتا ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں
تو اپنے بی۔ جے۔ پی۔ کے بھائیوں سے
کہونگا۔ رام رتن رام جی نے بڑے جذبے
کے ساتھ امنڈمنٹ دیئے ہیں۔ آپکی
پارٹی کا بھی یہی جذبہ ہونا چاہیئے۔ میں
آپ سے درخواست کرتا ہوں آپکا اثر و رسوخ
ہے۔ تو آپ وشو ہندو پریشد کے ان
حضرات سے کہیئے کہ یہ وقف کی پراپرٹی
ہے یا نہیں ہے۔ سرکاری قبضہ ہے۔ اگر
کسی پرائیویٹ انڈی وجول کا قبضہ ہوتا
تو شاید اعتراض کی بات ہو سکتی تھی۔
سرکار کا قبضہ ہے اور سرکار نے اپنی خوشی
سے کہا ہے کہ وقف کی پراپرٹیز واپس کر دیں۔

تو دلی وقف بورڈ کی آمدنی بڑھیگی۔ اس
سے ہو سکتا ہے کہ دو چار ایجوکیشنل انسٹی
ٹیوشنس بیچارے جو چلا رہے ہیں اس
سے بہتر اپورچونیٹی ملیگی۔ زیادہ خدمت
کر پائینگے۔ لیکن انھوں نے اسٹے لے لیا اور
اسکے اوپر کہہ دیا کہ یہ تو غلط کر رہی ہے
سرکار۔ اس پر رینٹ کنٹرول ایکٹ لاگو
ہوتا ہے۔ اسلئے وہی قانون کا اطلاق
ہونا چاہیئے جو عام پراپرٹیز پر ہوتا ہے۔ میں
تو راجیو گاندھی صاحب کا جو جذبہ تھا
اسکی قدر کرتا ہوں اختلاف کے باوجود۔
کئی کام انہوں نے ایسے کرنے کی کوشش
کی لیکن ہمارے دوسرے حضرات نے اڑنگا
اٹکایا۔ آج اگر مسلمان وقف پراپرٹیز
کو کسی طرح سے واگزار کر کے اسکی آمدنی
بڑھا کر کے تعلیم کے کام میں یا کسی بہتر کام
کی طرف جا رہے ہیں تو دیش کی خدمت
کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اسکول چاہیئے۔

ایسے ایسے گاؤں میں آپکو دکھا سکتا
ہوں جہاں مسلم آبادی ۷۵ فیصدی
ہے لیکن پرائمری اسکول نہیں ہے۔ میرا
کہنا یہ ہے کہ پرائمری اسکول دینا تو سرکار
کا کام ہے۔ اگر سرکار کسی وجہ سے نہیں
دے پاتی ہے۔ اگر وقف بورڈ وہاں پر
اسکول کھولنا چاہتا ہے۔ اسکی آمدنی سے
چلانا چاہتا ہے۔ تو اسمیں کیا برائی ہے۔
میں دلی کے دو اسکولوں کو جانتا ہوں
جنکو ان اداروں نے چلایا۔ وہ دلی
ایڈمنسٹریشن سے پرمیشن مانگ رہے
ہیں۔ ہر رول۔ ریگولیشن کو پورا کر
رہے ہیں۔ تنخواہیں پوری دے رہے
ہیں۔ جو ریگولیشنس ہیں انکو پورا کر
رہے ہیں۔ ان اسکولوں کو آپ مانیتہ
پردان کر دیجئے۔ لیکن تین تین چار چار
پانچ پانچ دس دس سال لگ جاتے ہیں۔

آپ ہائی اسکول کو ریکگنائز نہیں کرتے
ہیں۔ یہ کوئی اینٹی نیشنل کام تو نہیں ہے
بچوں کو پڑھانا۔ یہ تو سرکار کا ہاتھ بٹا
رہے ہیں۔ جو کام سرکار کو کرنا چاہئے۔
وہ آگے بڑھکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
اور کوئی سوشل آرگنائزیشن کر رہی
ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون تو
آپ لائے ہیں۔ قانون کی مدد بڑی
ضروری ہے۔ لیکن دُربھاگیہ اس بات
کا ہے کہ قانون کے ساتھ آپکے کام کرنے کی
ول ہونی چاہئے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف سے
لائے اور دوسرے طرف سے کوئی دوسرا
راستہ دکھا کر روک لیا۔ جو کام ہوتا ہے
اسکو روک دیا۔ دوسرے دوسری طرف سے
کچھ لوگوں نے پکڑ لیا۔ کام نہیں ہونے دیا۔
میں نے آپکو مثال دی ہے۔ ایسی مثالیں
اور بھی ہندوستان میں مل جائینگی۔ بہت

کی منشا نہیں ہے اسلئے آپ یہ اسکول
نہیں بنا سکتے ہیں - لہٰذا وہ پیسہ وہیں
پڑا رہا - پھر ہریانہ میں ایک بنتا بناتا
انجینیرنگ اسکول نہیں بن سکا - آج
مجھے عبدالصمد صدیقی صاحب یاد آرہے
ہیں - جو وقف کرائی کرتے تھے - اور متولیوں
سے - سجادہ نشینوں سے بہت زیادہ
جوتے بھی کھاتے تھے - بیچارے - جب وہاں
جاکر بولا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ درگاہ کی
آمدنی ایجوکیشن پر خرچ کرو تو لوگ کہتے
تھے کہ بھائی دیکھو یہ مسلم پرسنل لا میں
مداخلت کرنے چلا ہے یہ شخص - متولیوں
کو معلوم ہے کہ واقف کی منشا کیا ہے - وہ
تو اسی حساب سے خرچ کریں گے - واقف
کی جو منشا ہے اسکو کیسے وہ ایلٹری پیوٹ
کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں - یہ تو وہ متولی
حضرات ہی جانتے ہیں - لیکن سچی بات

سے قبرستان ہیں بہت سی درگاہیں
ہیں - زمینیں ہیں وقف بورڈ کی - ہریانہ
کے اندر زمینیں ہیں - میں آپکو بتانا چاہتا
ہوں کہ سات آٹھ سال پہلے میں پنجاب
گیا تھا - وہاں پر میں نے دیکھا کہ وقف بورڈ
کے پاس چالیس پچاس لاکھ روپئے پڑا
ہوا ہے - سکندر صاحب بھی ذکر کر رہے
تھے - آمدنی کروڑوں روپئے میں ہونی چاہئے
تھی لیکن سکندر بخت صاحب وقف بورڈ
کے جو چیئرمین تھے - سرکاری ملازم تھے
جذبے والے آدمی تھے - اور چاہتے تھے کہ
ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنس بن جائے وہ
اس چالیس پینتالیس لاکھ روپئے سے
ایک انجینیرنگ انسٹی ٹیوٹ بنانا چاہتے
تھے - لیکن سرکار نے پرمیشن نہیں دی
کہ وقف بورڈ کا پیسہ چونکہ آپ تعلیم
پر یہاں خرچ نہیں کر سکتے ہیں - چونکہ واقف

یہ ہے کہ عام آدمی کو اس سے لاجواب بہت کم ہوتا تھا۔

ہم نے خود بھی بڑا نقصان پہونچایا ہے۔ اسلئے میں آج عظیم ایوان کے ذریعے سے ہندوستان میں رہنے والے اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے بھی بہت سی جگہوں پر قبضہ کیا ہے لیکن ہم نے اپنی مسجدوں کے اندر کیرے تک کے ہوٹل کھلوائے ہیں۔ یہ کام ہم لوگوں نے ہی کئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گریبان پکڑنے چاہیئے۔ ایسے لوگوں کو کبھی وقف بورڈ کا ممبر نہیں بننے دینا چاہیئے۔ دلی کے اندر ایسی مسجدیں ہیں قرول باغ کے اندر جہاں پر عیاشی کے اڈے چل رہے ہیں اور بیچنے والے ہم خود ہیں۔ اسلئے اگر دوسروں سے توقع کریں تو سب سے پہلے اپنے یہاں سے بھی کچھ شروع کرنا چاہیئے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیسری جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ اس ملک میں اگر پینتالیس پچاس سال سے سرکاریں چل رہی ہیں۔ تو ان میں زیادہ تر حصہ آپکا رہا ہے۔ آپ دیکھئے کہ وقف کے ممبران کیسے لوگوں کو بنایا گیا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ وقف بورڈ کا ممبر جب بنتا ہے اسکا گھر دیکھ لیجئے۔ اور وقف بورڈ کی ممبری سے ہٹنے کے بعد اسکا گھر دیکھ لیجئے آپکو فرق پتہ لگ جائیگا۔ کہ کتنی سروس کی ہے اس نے۔ اپنی سروس خوب کرتے ہیں وہ۔ اسلئے جو قانون آپ لائے ہیں اسکا میں بیحد شکر گزار ہوں کمی ہے اسمیں لیکن اس کمی کو بھی میں تو کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ ایکسیپٹ کریئے۔

دوسری بات یہ ہے۔ میں ایک
گزارش ضرور کرونگا کیسری جی۔ آپنے
دو تین مدعے پچھلے چار سال میں اٹھائے
ہیں ایک معاملہ آپ وقف کے معاملے
میں بالکل منسٹری تین چار سال سے اٹھا
رہے ہیں اسے کوئی الیکشن اسٹنٹ نہیں
کہہ سکتا۔ آج ایک آدھ معاملے کو لیکر
شہر میں پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن
اسٹنٹ ہے۔ کانگریس کے مسلم لیڈرس
خلاف چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ تاکہ
گورنمنٹ کی پالیٹیکس کی جاسکے۔ میں اپوزیشن
کا ہوکر اس بات کو کہنے کے لئے تیار ہوں کہ
کیسری جی اگر یہ بل لائے ہیں تو انکی نیک نیتی
ہے اور اس پر کسی کو شبہ نہیں کرنا
چاہیئے۔ یہ کوئی الیکشن اسٹنٹ نہیں ہے۔
لیکن اسکے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ
بھی کہونگا کہ اسکا حشر وہ نہ ہو جو
۱۹۸۴ کے اندر جو ایکٹ آپ لائے
تھے اسکا ہوا تھا۔ دونوں ہاؤسس سے
پاس ہوا تھا۔ صدر محترم کے دفتر میں جاکر
وہ کہاں چلا گیا آج تک پتہ نہیں۔ ۵ سال
گزر گئے۔ میں آپ سے گزارش کرونگا
کہ آپکا پورا ایفورٹ یہ ہونا چاہیئے کہ یہ
راجیہ سبھا سے بھی پاس ہو۔ لوک سبھا
سے بھی پاس ہو اور صدر صاحب
کے دستخط ہوکر قانون بنکر لوگوں
تک پہونچ جائے۔ دوسری بات یہ
کہونگا۔

اپ سبھاپتی: اب آگے دوسرے لوگوں
کو بولنا ہے۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل:
بس میڈم۔ آخری بات کہکر ختم کر دیتا
ہوں۔ ایک ہی میرا سجیشن اسمیں
ہے۔ جو رحمان صاحب نے امنڈمنٹ دیئے
ہیں میں مکمل اتفاق کے ساتھ یہ کہنا
چاہتا ہوں کہ ساری جو وقف پراپرٹیز

ہیں انکو آپ ڈیفنیٹ کنٹرول سے مستثنیٰ
کر دیں - اس سے نکال دیں اور ان پبلک
پریمیسیز ایکٹ جو گورنمنٹ کی پراپرٹیز
پر لاگو ہوتا ہے لاگو کر دیں چونکہ سرکار
ہی اسکو دیکھ رہی ہے - اگر سرکار یہ سمجھتی
ہے کہ وقف کی پراپرٹیز کمیونٹی کی پراپرٹی
ہے - اسکا استعمال پوری کمیونٹی کیلئے
ہوتا ہے تو دیش کا بھی فائدہ ہوتا ہے
اسلئے اسکا اطلاق وقف کی پراپرٹیز کے
اوپر پبلک پریمیسیز ایکٹ کے تحت جو گورنمنٹ
کی پراپرٹیز پر لاگو کیا جاتا ہے وہی اطلاق
اسمیں ہونا چاہئے - ایسا امنڈمنٹ نکال
کر اسکو کرا دیں - یہ کام کرا دیں جو میں
نے لاسٹ میں کہا ہے تو آپکا نام سنہری
حرفوں میں لکھا جائیگا - مجھے یقین ہے -
میں آخر میں اسکو سپورٹ کرتے
ہوئے آپکا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس
بل کو لیکر آئے ہیں میں سرکار کا کام کرتا
ہوں ذاتی طور پر آپکے انٹرسٹس کا زیادہ
شکریہ ادا کرتا ہوں - "ختم شد"

SHRI M. A. BABY (Kerala): Madam Deputy Chairman, I thank you very much for permitting me to speak on this subject. First of all, I am in general agreement with the Bill moved by the hon. Minister, Shri Sitaram Kesri, At the same time, the Ministry said that Shri Sitaram Kesri has been heading is not sufficiently serious—I am sorry to state this — about matters released to Wakf. I have a concrete example of this. The Government of West Bengal, in order to tackle problems related to administration and management of Wakf in the State, adopted a legislation in the State Legislature and, in order to avoid any delay in the clearance for the Presidential assent, the same was sent to the Ministry for its clearance as far back as on 2.12.1993. But, unfortunately, the Ministry has not yet sent any reply and the State Government is waiting for the clearance from the Ministry. Making use of this opportunity, I would like to bring this to the notice of the Minister so that something could be done in this matter.

Madam, with regard to the provisions of the Bill, I do not have many amendments or modifications to suggest. Some of the hon. Members of this House have moved certain amendments to further democratise the administration of the Wakfs. I think some of the amendments would be useful, for example, the amendment to make the single-member tribunal into a multi-member tribunal. Many such amendments are there to which I am sure the hon. Minister would apply his mind very seriously and sufficient modications will be made.

With regard to clause 100, I have certain apprehensions. This clause empowers the State Government to supersede the Wakf Board, if in the opinion of the that Government, the Board is unable to perform and has defaulted in the performance of its duty or has failed to comply with the directions of that Government. As the provision stands, one may not question the intentions. But, Madam I feel that one can draw a parallel between clause 100 of this provision and article 356 of the Indiann Constitution. The Central Government can dismiss any State Government with certain provisions and all that. And, very rarely those provisions were complied with. I am not stating this only about the Congress (I) Central Governments. Since the Congress (I) had longer innings at the Centre, Congress (I) had the credit or discredit of misusing it at more frequert intervals than any other party. I am afraid that this clause is fraught with possibilities of misuse. In the name of the Wakf Board not complying with the directions of the State Government, this is an authority being owed to the State Government. And, authoritarian authority, even if deceralised: cannot be supported by us. This is, our difficulty. At the same time, I do not say that there won't be occasions when the State Government would be constrained to ask the Wakf Board to conduct itself properly, failing which the State Government would even be constrained to take over or disband the Wakf Board and restart the process of constituting a democratically elected Wakf Board to replace the one which has been disbanded. My suggestion is to incorporate certain saving clauses here, with some modifications.

I would like to submit two suggestions. The State Government can keep the Wakf Board in suspended animation and within a specific period, with a time specification; a High Court Judge may be requested to go into the allegations so that with a period of two or three month. the High Court Judge would be in a position to submit a report to the State Government and on the basis of it further action can be taken. Similarly, one more suggestion that I would like to submit is that this may be brough before the State Legislature, there may be a State Assembly, there may be a discussion there. Of course the party which is running the State Government may be in a majority in the State Legislature, but still a democratic discussion should take place on the democratic forum of the State Assembly so that there would be full transparency and it would be known to the people at large, through media and through disnussions in the State Assembly why a Wakf Board has been superseded. So, this is one specific point which I want to submit with regard to clause 100.

Madam, having stated so, I would also like to take this opportunity to deal with certain general issues related to religion society and the State. I am very happy to note that nobody has questioned the right of Parliament to discuss and legislate upon the conduct of the Wakf Boards. I am very happy to note that. This exposes the deep roots of the principle of secularism and the principle of democratic accountability that have taken shape in our society during the last 40 years or so of the existence of our Republic. This is a highly commendable aspect.

At the same time I am not obivious to the fact that there are certain forces in our society who question tht right of the State to deal with issues relatd to religious property. Madam, here I am aware of the fact trat one has to draw a very clear distinction between an individuals right to have certain religious freedom right to re-

ligious worship and the State's authority and prerogative to deal with matters related to religious property. When I make this submission, Madam, I am also aware of the fact that being a Communist somebody would question my locus standi to discuss this issue. Especially when I speak about religious freedom, one may accuse me and my party of having deprived a section....

SHRI SITARAM KESRI: You also have a religion.

SHRI M. A. BABY: I don't think Mrxism has a religion. There would be divergent views with regard to that. ...(Interruptions) ... I beg to differ rom you.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): If you happen to be a judge, you have to delivtr the judgment. If there is an issue before you, you have to decide it on merit. You are talking here in the capacity of a semi-judicial person. It does not matter whether it related to any religion or not. You give your verdict.

SHRI M. A. BABY: I am making my submission with regard to the issue. Madam, I would submit during the discussion on the subject that with regard to the approach of the State towards religion, here were serious aberrations and mistakes in the East European socialist countries and even in the Soviet Union, in evolving a correct and scientific approach in dealing with religon. Here I would also like to submit that this is basically due to the departure of those who were in power in those countres, presiding over the socialist experiment there, whether it was in the Soviet Union or in East Europe. Madam, I am reminded of an observation made by Mar tn in Germany Bismack wanted to ban certain religious denomination against whom he had his own reservations. In response to that, Mark wrote, "That the banning of a certain religons demoniation, that action of Bismark, in fact, is trying to extend the life of that particular religion, which would have otherwise met with a natural death So, theoretically and practically, we have our reservations about the religious beliefs. At the same time, it is not through administrative action or action of the State that you regulate the right of an individual to believe in a particular religion or not to believe in any religion at all. Having said so, Madam we are confronted with a situation in our country today in the guise of right to religion, as far as the alienable right of an individual is concerned there are efforts by various sections of the people to misuse religion for narrow antinational purposes on the one hand—and it does not stop here, Madam, there are many cases, apart from using religion for narrow political and electoral purposes places of religious worship have been misused for antinational activities. I am also constrained to say that there was a grave failure on the part of the ruling party at the Centre in dealing with a similar situation—I do not want to go into the details. In Punjab we had the experience of Sikh religious places being misued by anti-national militants. We in unequivocal terms condemned such action. we also charged the ruling party at that time at the Centre, which happens to be the ruling party at this point of time also, of not tackling that issue properly. At a point of time, in order to cut the electoral support of a part which was basically drawing its support from a particular religious community, the ruling part at the Centre, unfortunately with only keeping its narrow political interests in mind encouraged certain extremist elements within that community. This landed our country and particularly that State, into a political instablity and the people of that State and this country suffered a lot. In that unfortunate

process, we lost a Prime Minister also Madam, similarly, there are many instances where the religion and the religious places or the religious properties have been misused and abused with narrow political and anti-social interests. I would like to take this opportunity to very sincerely appeal to the various political parties political forces and religious sector to desist from this dangerous trend, which has unfortunately engulfed the body politics of our country. Madam, today we have certain democratic means to control the religious properties of different relgions. I do not know whether the way the Gurudwara Prabandhak Committee is existing, the Wakf Board is existing and in relation to various Hindu temples and other temples of different religions there are, Committees existing with Government representatives, representatives of the elected Assemblies the Parliament, any similar mechanism is existing with regard to the properties owned by various Christian denominations. I am not suggeting immediate legislation to that effect, but it is an aspect which we should consider with care and caution. But this should not be missed by law makers. So far as my information goes there is no such establishment existing now. Therefore, this thing should continue or there should be some modification, there should be some legislation towards this. This is something which we should seriously take note of. Madam, now without taking much of your time, I would...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken.

SHRI M. A. BABY: Already taken? What actually I thought of taking, I have not taken. Jagmohanji has made some references with regard to this legislation being made applicable to the Jammu and Kashmir State also. Madam, I don't know with what idea in mind our hon. colleague has made this suggestion. All of us would appreciate if a situation emerges wnen legislations made in Parliament would be naturally applicable to Jammu and Kashmir, and all of as would be happy. But, Madam, we have to look at this from a historical point of view. We know there is article 370 in the Indian Constitution. And all of us understand and appreciate at what historical juncture we had to incorporate this particular article, 370, in our Constitution and we feel that not only should article 370 continue, but also there should be more efforts to assuage the feelings of the people and so to extend the scope of autonomy for the Jammu and Kashmir region within the framework of the Indian sovereignty and within the framework of the Indian Constitution. This has to be totally on the basis of discussion, on the basis of consensus, among all the rational political parties. When the country in general is thinking on these lines, Jagmohanji asks that why this is not being made applicable to Jammu & Kashmir. With all humality I submit, on Jammu and Kashmir this is an observation which should not have been made.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: He was supporting your view.

SHRI M. A. BABY: Therefore, Madam, the people living in the State of Jammu and Kashmir have been having a feeling that things are being imposed from somewhere else against their wishes. I don't say that Delhi ever did anything which actually created a situation, for the people over there to feel so. Some of the actions from Delhi also created and genuine, legitimate grounds for the people over there is believe so. This has been happening there, more so because of the activities of the people abroad, the anti-national forces.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): He is referring to the 1976 period.

SHRI M. A. BABY: Therefore, Madam, I am totally in disagreement, I repeat, totally in disagreement with the observations made by Jagmohanji. At the same time, I feel that there are collective democratic efforts. A situation should emerge in our country; sooner or later, when the legislations made in the Indian Parliament would be automatically applicable to the people of Jammu and Kashmir. We are looking forward to such a situation, cut the time is not yet ripe to make such sweeping generalisations. With these words, Madam, I generally support this piece of legislation which has been brought by Shri Sitaram Kesri. Thank you.

5. P.M.

उपसभापति : **श्री गया सिंह** । गया सिंह जी तो कभी-कभी बोलते हैं । दरअसल, यह जो इनका नाम है न "गया" इसलिए यह बाहर ही रहते हैं । . . (**व्यवधान**) . . इनका नाम बदली कर देना चाहिए ।

श्री गया सिंह (बिहार) : मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय केसरी जी ने जैसा कि आपने भी आरम्भ में बताया कि इसमें दस साल से प्रयास किया गया और हम ने माननीय सदस्य जनता दल के नेता ने तो केसरी जी की इतनी प्रशंसा कर दी कि मैं उसी को सोच रहा था कि आज इतनी प्रशंसा वह क्यों कर रहे हैं, कुछ गड़बड तो नहीं है । माननीय केसरी जी ने आरम्भ में कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को पूरा करने जा रहे हैं । इसके छः महीने बाद कहेंगे कि यह काम भी पूरा कर दिया । मैं समझता हूं कि केसरी जी ने अच्छा काम किया है जो यह बिल लाए हैं । उनकी प्रशंसा तो जरूर होनी चाहिए । लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही क्यों, यह तो आपकी पुरानी कांग्रेस पार्टी है और बहुत सालों से सरकार में है, तो अभी का घोषणा पत्र आप पूरा क्यों कर रहे हैं, पहले वाला इतने दिन क्यों छोड़ दिया ।

मैडम, मैं समझता हूं कि जिस बिल की भी आपने चर्चा की और सिकन्दर बख्त साहब भी इसका टाईम ले रहे थे, मैं समझता हूं कि यह ठीक है कि इस सदन को इसको पास करना चाहिए और इसमें कुछ चीजों की चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने की तथा मैं भी दो-तीन पोइंट उसमें रखना चाहता हूं ।

जैसा केसरी जी ने कहा कि जनतांत्रिक तरीके से वक्फ बोर्ड का चयन होगा । लेकिन उसमें नामिनेशन ही है । फिर उसमें संसद और विधान सभा के लोग ही रहेंगे । तो कुल मिलाकर वह पौलिटिकल डामिनेशन ही हो जाएगा । मैं समझता हूं कि इसको उससे मुक्त रखना चाहिए । यह एक खास कम्युनिटी की प्रोपर्टी और खास कम्युनिटी के वैलफेयर के लिए यह सम्पत्ति है । तो उस कम्युनिटी के भी एम. एल. ए. और एम. पी. जानते है, हम लोग जहां जाते हैं चाहे वह पार्लियामेंट के मेंबर हों या विधान सभा, विधान परिषद् के मेंबर हों, तो वह उनकी खासियत हो जाती है और फिर उसका दुरुपयोग भी करते हैं । इसलिए इसमें एम.एल. ए., एम. पी. को तो नहीं रखना चाहिए । इस कम्युनिटी के अंदर जो वैलफेयर के विभिन्न संगठन हैं, उनके नुमांइदे उसमें हों और उसके माध्यम से अगर कोई एम. एल. ए., एम. पी. भी आते हैं तो उसमें ऐतराज नहीं है । लेकिन जो प्रोविजन इसमें हैं वह मैं पढ़ रहा था । मेरा ख्याल है कि उससे दुरुपयोग होने का खतरा है । आज जो स्थिति इस देश में बोर्ड की है, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जिसकी जहां चलती है उसके हिसाब से उसका उपयोग कर रहे हैं । दुरुपयोग भी हो रहा है और इसमें करप्शंस भी हैं ।

माननीय मंत्री जी ने शुरू में कहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद से उसमें जो संबंधित कर्मचारी हैं उनकी जो माली हालत है, वह बहुत खराब है जो इससे सुधर जाएगी । लेकिन कैसे सुधरेगी, आपके स्टेटमेंट से तो हम संतुष्ट नहीं हुए । आज इस संस्थान में करप्शन का एक कारण यह भी है कि उससे संबंधित जो कर्मचारी हैं, उनकी हालत खराब है और तब जो एंक्रोचमेंट का सवाल होता

है तथा उसका एक हिस्सा विभिन्न रूपों में जो कर्मचारी हैं, वही इस काम को करते हैं । पहले क्या स्थिति थी तब हमारे देश में महंगाई नहीं थी । लेकिन आज वह संभव नहीं है । इसलिए किसी न किसी रूप में एक्रोच चल जाता था । लेकिन आज वह संभव नहीं है । इसलिए किसी न किसी रूप में एक्रोच करके, कुछ कब्जा करके, कुछ दुकान चलाकर, बैक साईड बिजनेस करके और आज जो उसको वह हड़पने की कोशिश कर रहे है, उससे बचने के लिए हमने यह देखा कि इसमें कोई ऐसा प्रोविजन है ? तो जैसा कि हमारे माननीय सदस्य बेबी जी ने कहा, एक दूसरी ओर जो आज मनोपॉली हो रही है–रिलीजन और पौलिटिक्स की, दोनों का सम्मिश्रण न हो वह कम्युनिटी चूंकि माइनोरिटी है और उनकी वह प्रोपर्टी है उसकी मान्यता हम दे रहे हैं– उनका पूरा अधिकार बढ़े, उसमें किसी का हस्तक्षेप न हो और वैलफेयर मिनिस्ट्री की ओर से जहां उसकी कमी है जहां उनको जरूरत है उसमें उनको मदद करें । जनता दल के माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रोपर्टी का इस्तेमाल उस कम्युनिटी के एजूकेशन में तथा और दूसरे वैलफेयर में हो जिससे उस कम्युनिटी को विकसित कर सकें । क्योंकि हमारे माननीय केसरी जी इधर हाल के दिनों से जब से वैलफेयर मिनिस्टर है, काफी प्रयास वह भी कर रहे है । अखबार में आ जाते हैं कभी आरक्षण के सवाल पर, कभी मंडल के सवाल पर तो यह अच्छी बात है कि कुल मिलाकर केसरी जी हमारे काफी पापुलर हो रहे है और हमको भरोसा है कि इस बिल में जो कुछ कमी है, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए है, इसके अलावा भी वे सोचते है, कुछ सोच करके कुछ और नई चीज सामने लाएंगे जिससे यह महसूस होगा कि इस ओर उनका सचमुच में जो पिछले कई सालों का प्रयास था, उसका अच्छा असर इस कम्युनिटी पर पड़े, धन्यवाद ।

विपक्ष के नेता (श्री सिकंदर बख्त) : सदर साहिबा शुक्रिया । मैं ज्यादा इस बहस के दौरान हाजिर नहीं रह सका, इसका मुझे सख्त अफसोस है । मुझे फायदा उठाना चाहिए था कि क्या-क्या कहा गया। मेरी पार्टी की ओर से मेरे साथी राम रतन राम जी ने इज़हारे-ख्याल किया और उनकी अमेंडमेंट मेरे सामने मौजूद हैं, काफी अच्छी हैं ।

सदर साहिबा, मैं बहुत नाजुक जमीन पर इज़हारे-ख्याल करने के लिए हाजिर हुआ हूं । बहुत तजुबजुब है मुझे कि केसरी जी ने जो कोशिश की है, उस कोशिश की तारीफ करूं या कुछ शिकायत को शामिल करके तारीफ करूं । कांग्रेस मेनिफस्टो में जरूर कहा गया होगा लेकिन आज तो खालिसन एक ऐसे इदारे का जिक्र हो रहा है जिस इदारे का जिक्र सिर्फ एक कम्युनिटी से, मुसलमान से हैं । उसका बुनियादी सवाल केवल एक है कि वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत के लिए क्या कदम उठाए जाए, महफूज कैसे रखा जाए ? क्या हमने उन तमाम एरियाज़ पर नजर डाल ली कि जहां से वक्फ बोर्ड की जायदादों से बेंतहाशा पिलफरेज हो रहा है ? मुसलमान वक्फ का जिक्र है । मुसलमान वक्फ की जायदाद की हिफाज़त का जिक्र है । अगर किसी हिस्से में, किसी एक दायरे में इस जायदाद पर लूटमार मची हुई है तो उस जायदाद को उस लूटमार से बचाने का सवाल है । यह जायदाद गरीब मुसलमानों की, मुसलमान बेवाओं की, मुसलमान यतीम बच्चों की अमानत है । उसमें अगर ख्यानत हो रही है तो इस बिल के लाने में उस ख्यानत से इस जायदाद को महफूज रखने के कौन-कौन से तरीके रख गए हैं, मेरी राय में पूरे नहीं रखे गए हैं। यह बातचीत शुरू होने से पहले मैंने अर्ज किया था, दस बरस की कोशिश जरूर रही होगी । वह कोशिश जारी रखी गई दस बरस तक, मैरेथन है, दाद देता हूं स्टेमिना की लेकिन जो आखिरी शक्ल हमारे सामने आई थी, बिल के साथ इरेटा इतना लंबा था कि उसको पढ़ना नामुमकिन हो गया था, दरखास्त की गई सदर साहिबा से, सेक्रेटरिएट से अपने कि इसको, सबको इकट्ठा करके और छापकर लाया जाए । दो दिन की कोशिश में, मैं दाद देता हूं सेक्रटरिएट की कि वह इकट्ठा

करके, तमाम इरेटा को अलग करके और बिल को छापकर ले आए । पढ़ने का मौका नहीं मिला उसको ठीक से । उसके बावजूद भी अमेंडमेंट्स बहुत सारी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं । मैंने अभी यह कहा कि मैं बहुत नाजुक ज़मीन पर इज़हारे-ख्याल कर रहा हूं । इसलिए कर रहा हूं कि ठीक वे लोग जो वक्फ की जायदाद के इंतजाम में लगे हुए हैं, उनकी बदइंतज़ामी ने बेतहाशा वक्फ की जायदादों को नुकसान पहुंचाया है । अब भी कोई उसमें मुनासिब बंदोबस्त किया गया हो, मुझे ऐसा नजर नहीं आता है । मैं कुछ चीजों का जिक्र करूंगा । एक बात का और जिक्र कर दूं, कुछ तजवीजों के बीच में आने से पहले । यह सैक्यूलर ऐक्टीविटी का, जहां आपने मैनीफैस्टो की बात की, सैक्यूलर ऐक्टीविटी के क्या मायने हैं ? मैं नहीं समझा हूं । कोई स्कूल अगर कोई वक्फ बोर्ड खोलता है और उस स्कूल में हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई बच्चे पढ़ें, बिल्कुल मुनासिब है लेकिन तमाम ऐक्ट का गवर्नेंस मुस्लिम ला के मातहत होना, आई डोंट नो; किस-किस किस्म की चीजें हैं और किस-किस किस्म की नाराजगी को हम मिलाना चाह रहे हैं । यह वक्फ खालिसन मुस्लिम कम्यूनिटी के औकाफ हैं, यह तमाम औकाफ बुनियादी तौर पर मुस्लिम कम्यूनिटी की ही अमानत है, इन औकाफ का तमाम मैनेजमेंट मुस्लिम ला के मातहत ही होना है, सैक्यूलरिज्म का लफ्ज कहां से आ गया ? यहां सियासी नाराजगी की क्या जरूरत है ?

श्री सीताराम केसरी : आपकी वजह से ।

श्री सिकन्दर बख्त : आपने बहुत जहांनत की बात की तो मैं समझ लूंगा । यह समझ में नहीं आयी मेरे ।

उपसभापति : यह कौन से पेज पर है सैक्यूलरिज्म ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं बता रहा हूं, पढ़ रहा हूं । इस वक्त पेजिज मेरे सामने हैं, मैंने सीधे नोट ले रखे हैं । लम्बा चौड़ा है, सैक्यूलरिज्म का जिक्र है इनके यहां । आपको पढ़ने से नजर आ जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि इसको पढ़ना दुश्वार हो गया है । मैं, सदर साहिबा, दो-चार बातें, दो चार तजवीजें रखना चाहता हूं । हो सकता है कि मेरे साथी ने कह दी हों, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं । पहली बात तो क्लाज 32-(4) और (5) की मातहत बात है । वह शायद लिखा हो तो मैं बता ही दूं सदर साहिबा आपको सैक्यूलरिज्म की बात ।

उपसभापति : मिल गया है मिस्लेनियस 47 में ।

श्री सिकन्दर बख्त : क्या मतलब है इन बातों का । यह, क्लाज 32, (4) (5) की बात कर रहा हूं, जहां आपने शापिंग सैंटर, मार्किट और फ्लैट्स वगैरह का जिक्र किया है, वहां मेरा सवाल यह है. . .

उपसभापति : नहीं, सिकन्दर बख्त साहब, वह एक्सप्लेन केसरी जी तो करेंगे, मैं जो समझी हूं कि जहां तक रिलीजियस ऐक्टीविटीज का सवाल है, जैसे दरगाहों पर जो नियाज होती है या मस्जिद में नमाज होती है या मदरसे चलते हैं उसके अलावा . . .

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे मालूम है, सोशल इकानामिक, एजूकेशनल ऐंड अदर ऐक्टीविटीज़ मैंने पढ़ा है सभी बातों को । मेरा कहना है कि इसमें कोई नाराजगी की जरूरत नहीं थी । यह जहन में रखिए । मुसलमानों की वक्फ जायदादों की हिफाजत आप उसका जिक्र करने की कोशिश रहे हैं, वहां सियासी नाराजगी से ये बातें पाक होनी चाहिए, यह मेरा ख्याल है । मैं कुछ तजवीजें रख रहा हूं कि जो मैंने नजाकत की बात कही है । मुतवल्ली का लफ्ज बहुत मुहतरम लफ्ज है लेकिन बदकिस्मती से उनकी मौजूदगी के बावजूद नुकसानात पहुंच रहे हैं । आपने जहां शापिंग काम्प्लैक्सिज वगैरह, मार्किट बनाने की बात की है और उनको हैंडओवर कर रहे हैं आप मुतवल्लियों को, तो मैं जानना चाहता हूं

कि इस पर बोर्ड का कितना कंट्रोल होगा ? मेरी राय है कि यह बोर्ड के कंट्रोल के बाहर नहीं होना चाहिए । मैं बातें करता चला रहा हूं, मेरा भरपूर भाषण देने का इरादा नहीं है । क्लॉज 33 की बात है जहां आपने कहा है कि

Clause 33. Making a mutawalli or any officer or other employee working as chief Execltive Officer will first have to deposit an amount for making an appeal against the tribunal order in case of arrest for a particular misappaopriation of funds committed.

यह क्या सोचकर रखा गया है ? चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर के अहकामात इस कदर भरपूर होंगे । उसकी तादीबी कार्यवाही करने का क्या तरीका कर रखा है आपने, मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आता है । ऐसा लगता है कि जो चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर का लफ्ज है, वह किसी भी मायने से, किसी भी वैल्यू में आखिरी लफ्ज है, उसके आगे कुछ किया नहीं जा सकता है । यानी बोर्ड को भी आपने वहां दूसरा दर्जा दिया है । क्लाज 44 की बात है, जहां आपने कहा है कि 50 हजार रुपये सालाना से ऊपर की आमदनी का हिसाब-किताब मुतवल्ली साहब को बोर्ड के अप्रूवल के लिए भेज देना चाहिए । यानी कितना भी एकाउन्ट हो, पूरे का पूरा एकाउंट बोर्ड के पास क्यों नहीं आना चाहिए, अप्रूवल के लिए ? यानी गुंजाइश आपने छोड़ दी है कि 50 हजार रुपये सालाना से कम की आमदनी हो तो मुतवल्ली इसमें जो चाहे सो करे । हो रहा है, उल्टा सीधा । इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है । निहायत गड़बड़ हो रही है । अफजल साहब से मैं बैठे बैठे जिक्र कर रहा था । मैंने उनको एक किस्सा सुनाया कि 1977 में पंजाब वक्फ बोर्ड के पास कई सौ करोड़ रुपए होने चाहिए थे । लेकिन सिर्फ 40 लाख रुपये उसके पास थे । बाकी रुपया कहां गया ? वह रुपया किसी मुस्लिम ट्रस्ट, किसी मुस्लिम वैलफेयर एक्टिविटीज या किसी मुस्लिम मदरसे के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया । कहां गया ? इसलिए जो इंतजामी ढांचा है, उस इंतजामी ढांचे के हाथों वक्फ की प्रापर्टी को बरबाद होने से रोकने का बंदोबस्त पूरी तौर पर करना चाहिए । लिहाजा जेहन पैदा करने के लिए कि वक्फ का एक पैसा भी जाया न हो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि 50 हजार रुपये से कम की आमदनी हो तभी यह किया जाए, वह किया जाए ।

इसी तरह से क्लाज 72 है । जहां आपने कहा है कि 60 परसेंट फ्लैट रेट रखे हुए है । जो मुतवल्ली हजरात हैं वे वक्फ बोर्ड के साथ, सब जगह नहीं, जहां कम आमदनी है, वहां 60 परसेंट है और जहां आमदनी ज्यादा है वहां जहां लाख, पांच लाख की आमदनी है, फ्लैट रेट करेंगे तो आपका कंट्रोल होगा ।

शायद मेरा ख्याल है कि यह बात रामरतन राम जी ने कही है कि जिस तरह से सिविल कोर्ट को बार किया है उसी तरह से लैंड कोर्ट की भी वक्फ की जायदाद से बार किया जाए । लिमिटेशन का जिक्र किया है । वक्फ की जायदादों को लिमिटेशन की कैद से रोकिए ।

जल्दी जल्दी मैंने कुछ बातें नोट कर ली है । मुझे अंदाजा नहीं है कि वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जहां जहां लूपहोल्स हैं, वक्फ बोर्ड की जायदाद का लूटमार से कैसे बचाया जा सकता है, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए । इन लूपहोल्स को हम कैसे बंद कर सकते हैं । मैं आखिरी में कहूंगा कि यह कोशिश यकीनन काबिले दाद है । उसमें खुदा के वास्ते कम से कम एक तो अहकामात न रखिए और दूसरा इसमें सियासी मायले इसमें से निकालने की कोशिश कीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ।

†شری سکندر بخت "مدھیہ پردیش":

صدر صاحب شکریہ - میں زیادہ اس بحث کے دوران حاضر نہیں رہ سکا اسکا مجھے سخت افسوس ہے - مجھے فائدہ اٹھانا چاہئے تھا کہ کیا کیا کہا گیا - میری پارٹی کی طرف سے میرے ساتھی رام رتن رام جی نے اظہار خیال کیا اور انکی امنڈمنٹس میرے سامنے موجود ہیں - کافی اچھی ہیں -

صدر صاحب - میں بہت نازک زمین پر اظہار خیال کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں - بہت تذبذب ہے مجھے کہ کیسری جی نے جو کوشش کی ہے اس کوشش کی تعریف کروں - کانگریس مینیفیسٹو میں ضرور کہا گیا ہوگا لیکن آج تو خاص طور ایسے ادارے کا ذکر ہو رہا ہے جس ادارے کا ذکر صرف

† [ ]Transliteration in Arabic Script

ایک کمیونٹی سے - مسلمان سے ہے - اسکا بنیادی سوال صرف ایک ہے کہ وقف بورڈ کی جائیدادوں کی حفاظت کیلئے کیا قدم اٹھائے جائیں - محفوظ کیسے رکھا جائے - کیا ہم نے ان تمام ایرانس پر نظر ڈالی کہ جہاں سے وقف بورڈ کی جائیدادوں سے بے تحاشہ "بالفرض" ہو رہا ہے - مسلمان وقف کا ذکر ہے - مسلمان وقف کی جائیداد کی حفاظت کا ذکر ہے - اگر کسی حصے میں کسی ایک دائرے میں اس جائیداد پر لوٹ بھی ہوئی ہے تو اس جائیداد کو اس لوٹ مار سے بچانے کا سوال ہے - یہ جائیداد غریب مسلمانوں کی - مسلمان بیواؤں کی - مسلمان یتیم بچوں کی امانت ہے اسمیں اگر خیانت ہو رہی ہے تو اس بل کو لانے میں اس خیانت سے اس جائیداد کو محفوظ رکھنے کے کون کونسے طریقے رکھے گئے ہیں - میری رائے میں پورے نہیں رکھے گئے ہیں - یہ بات چیت

شروع ہونے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا۔ دس برس کی کوشش ضرور رہی ہوگی۔ وہ کوشش جاری رکھی گئی دس برس تک "میریتھن" ہے داد دیتا ہوں "اسٹیمنا" کی لیکن جو آخری شکل ہمارے سامنے آئی تھی بل کے ساتھ "اریٹا" اتنا لمبا تھا کہ اسکو پڑھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ درخواست کی گئی صدر صاحب سے۔ "سیکریٹری ایٹ" سے اپنے کہ اسکو سب کو اکٹھا کرکے اور چھاپ کر لا یا جائے۔ دو دن کی کوشش میں میں داد دیتا ہوں سیکریٹری ایٹ کی کہ وہ اکٹھا کرکے تمام "اریٹا" کو الگ کرکے اور اور بل کو چھاپ کر لے آئے۔ پڑھنے کا موقع نہیں ملا اسکو ٹھیک سے اسکے باوجود بھی امنڈمنٹس بہت ساری آپکی خدمت میں حاضر ہیں میں نے ابھی یہ کہا کہ میں بہت نازک زمین پر اظہار خیال کر رہا ہوں اسلئے

کر رہا ہوں کہ ٹھیک وہ لوگ وقف کی جائداد کی انتظام میں لگے ہوئے ہیں انکی بد انتظامی نے بے تحاشہ وقف کی جائدادوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب بھی کوئی مناسب اسمیں بندوبست کیا گیا ہو مجھے ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ میں کچھ چیزوں کا ذکر کرونگا۔ ایک بات کا اور ذکر کر دوں کچھ تجویزوں کے بیچ میں آنے سے پہلے۔ یہ سیکولر ایلیجیبلٹی کا کہاں آپنے بینفیشری کی بات کی۔ "سیکولر ایلیجیبلٹی" کے کیا معنی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں۔ کوئی اسکول اگر کوئی وقف بورڈ کھولتا ہے اور اس اسکول میں ہندو مسلمان۔ سکھ عیسائی۔ بچے پڑھیں بالکل مناسب ہے لیکن تمام ایکٹ کا گورننس مسلم لا کے ماتحت ہونا آئی ڈی منٹ تو" کس قسم کی چیزیں

ہیں - اور کس کس قسم کی نعرے بازی کو ہم ملانا چاہ رہے ہیں یہ وقف خالصاً مسلم کمیونٹی کے اوقاف ہیں یہ تمام اوقاف بنیادی طور پر مسلم کمیونٹی کی ہی امانت ہیں ان اوقاف کا تمام مینیجمنٹ مسلم لاء کے تحت ہی ہونا چاہیئے - سیکولرازم کا لفظ کہاں سے آ گیا ہے - یہاں سیاسی نعرہ زنی کی کیا ضرورت ہے -

شری سیتارام کیسری : آپ کی وجہ سے -

شری سکندر بخت : آپ نے بہت خراب کہی بات کی تو میں سمجھ لونگا - یہ سمجھ میں نہیں آئی میرے -

اپ سبھاپتی : یہ کون سے پیج پر ہے "سیکولرازم" -

شری سکندر بخت : میں بتا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں - اسوقت پیپر میرے سامنے ہیں - میں نے سیدھے نوٹ لے رکھے ہیں کمبا چوڑا ہے "سیکولرازم" کلاز کر رہے انکے یہاں - آپکو پڑھنے سے نظر آ جائیگا - وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسکو پڑھنا دشوار ہو گیا ہے -

میں صدر صاحبہ - دو چار باتیں دو چار تجویزیں رکھنا چاہتا ہوں - ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھی نے کہہ دی ہوں - میں صرف دوہرا رہا ہوں - پہلی بات تو "کلاز ۳۲ (۲) اور (۵)" کی ماتحت بات ہے وہ شاید لکھا ہو تو میں بتا ہی دوں صدر صاحبہ آپ کو "سیکولرازم" کی بات -

اپ سبھاپتی : مل گیا ہے "مسلمینبس" میں -

شری سکندر بخت : کیا مطلب ہے ان باتوں کا - یہ "کلاز ۳۲ (۲) اور (۵)"

کی بات کر رہا ہوں - جہاں آپنے "شاپنگ سینٹر" "مارکیٹ اور فلیٹس" وغیرہ کا ذکر کیا ہے - وہاں میرا سوال یہ ہے .....]

उपसभापति : सिकन्दर बख्त साहब, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 50 हजार रूपये के ऊपर की इन्कम, नीचे की इन्कम-आम-तौर पर वह उसी पर रखा है, वह सभी के प्रैशर से सबकी बात सुनकर केसरी जी ने रखा है। सबके साथ बातचीत करके (**व्यवधान**) नहीं, मुतवल्लियो से नहीं, आम लोगों मे।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जहन बनाइए, हमारी कम्युनटी का कि वक्फ की जायदाद का एक पैसा किसी को बरबाद करने का हक न हो। जहन बनाने की बात है। यह तादाद और कीमत की बात नहीं है कि कितना पैसा किसने दिया। एक एक पैसा अमानत समझा जाए और उसमें खयानत न होने दी जाए।

†[شری سکندر بخت: صدر صاحبہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذہن بنائیے ہماری کمیونٹی کا کہ وقف کی جائداد کا ایک پیسہ کسی کو برباد کرنے کا حق نہ ہو - ذہن بنانے کی بات ہے - یہ تعداد اور قیمت کی بات نہیں ہے کہ کتنا پیسہ کس نے دیا - ایک ایک پیسہ امانت سمجھا جائے اور اسمیں خیانت نہ ہونے دیجئے -]

उपसभापति : इसी नजरिए को सामने रखकर इस बिल को बनाने में इतना टाइम लगा क्यों सबकी बातों को सुनना पड़ा। अलग अलग वक्फ है, अलग अलग [illegible] हैं।

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

श्री सिकन्दर बख्त : [illegible] तो लूट रहे हैं।

†[شری سکندر بخت: وہی تو لوٹ رہے ہیں -]

उपसभापति : और अलग अलग मसलक को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए इतना वक्त लगा।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, मैं एक बात और कहना चाहता था कि जिस तरीके से आपने इसी शर्त रखी है कि शिया हजरात की नुमाइन्दगी जरूर हो वक्फ बोर्डों मे, उसी तरीके मे मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह अहले तसव्वुफ, सज्जादनसीन, सूफी मुस्लिम कुछ भी कहिए, वह भी हर वक्फ बोर्ड मे क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी दर्गाहे करीब करीब हर बड़े शहर और हर सूबे में मौजूद हैं तो किसी सज्जादानसीन को वक्फ बोर्ड में जरूर रखा जाए, यह मेरी दरख्वास्त है।

†[اپ سبھاپتی: نہیں سکندر بخت صاحب وہ ایکسپلین کیسری جی تو کرینگے - میں جو سمجھتی ہوں کہ جہاں تک "ریلیجیس ایکٹیویٹیز" کا سوال ہے جیسے درگاہوں پر جو نماز ہوتی ہے یا مسجدوں میں نماز ہوتی ہے یا مدرسے چلتے ہیں اسکے علاوہ ....

شری سکندر بخت: مجھے معلوم ہے "سوشل - اکنامک - ایجوکیشنل اینڈ ادر ایکٹیویٹیز" میں نے پڑھا ہے سبھی باتوں کو - میرا کہنا ہے کہ اسمیں کوئی نمائندگی کی ضرورت نہیں تھی یہ ذہن میں رکھ کے کہ مسلمانوں کی وقف جائدادوں کی حفاظت - آپ اسکا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سیاسی نمائندگی سے یہ باتیں پاک

ہونی چاہیئے - یہ میرا خیال ہے - میں کچھ تجویزیں رکھ رہا ہوں کہ جو میں نے نزاکت کی بات کہی ہے - متولّی کا لفظ بہت محترم ہے لیکن بد قسمتی سے انکی موجودگی باوجود نقصانات پہنچ رہے ہیں آپنے جہاں شاپنگ کمپلیکسیز وغیرہ مارکیٹ بنانے کی بات کی ہے اور انکو ھینڈ اوور کر رہے ہیں آپ متولیوں کو تو میں جانتا ہوں کہ اس پر بورڈ کا کتنا کنٹرول ہوگا - میری رائے ہے کہ یہ بورڈ کے کنٹرول کے باہر نہیں ہونا چاہیئے میں باتیں کرتا چل رہا ہوں میرا بھرپور بھاشن دینے کا ارادہ نہیں ہے - "کلاز" ۳۳ کی بات ہے - جہاں آپنے کہا ہے کہ :]

Clause 33. Making a mutawalli or any officer or other employee working as chief Executive Officer will first have to deposit an amount for making an appeal against the tribunal order in case of arrest for a particular misappropriation of funds committed.

یہ کیا سوچ کر رکھا گیا ہے - چیف ایگزیکیٹیو آفیسر کے احکامات اس قدر بھرپور ہونگے اسکی تادیبی کارروائی کرنے کا کیا طریقہ کر رکھا ہے آپنے - مجھے اسمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو "چیف ایگزیکیٹیو آفیسر" کا لفظ ہے وہ کسی بھی معنی سے کسی بھی ویلیو سے آخری لفظ ہے اسسے آگے کچھ کیا نہیں جاسکتا ہے - یعنی بورڈ کو بھی آپنے وہاں دوسرا درجہ دیا ہے - "کلاز ۲۰" کی بات ہے جہاں آپنے کہا ہے کہ ۵۰ ہزار روپیہ سالانہ سے اوپر کی آمدنی کا حساب کتاب متولی صاحب کو بورڈ کے اپروول کیلئے بھیج دینا چاہیئے یعنی کتنا بھی اکاؤنٹ ہو پورے کا پورا بورڈ کا پاس کیوں نہیں آنا چاہیئے "اپروول" کیلئے - یعنی گنجائش آپنے چھوڑ دی ہے کہ ۵۰ ہزار روپئے سالانہ سے کم کی آمدنی ہو تو متولّی اسمیں جو چاہے سو کرے - ہو رہا ہے الٹا سیدھا - اسمیں چھوٹے بڑے کا سوال نہیں ہے - نہایت ہی گڑبڑ ہو رہی ہے افضل صاحب سے میں بیٹھے بیٹھے ذکر کر رہا تھا میں نے انکو ایک قصہ سنایا کہ ۱۹۷۷ میں پنجاب وقف بورڈ کے پاس کوئی سو کروڑ روپئے ہونے چاہیئے تھے لیکن صرف ۱۰ لاکھ روپئے انکے پاس تھے - باقی روپیہ کہاں گیا - وہ روپیہ کسی مسلم ٹرسٹ کسی مسلم ویلفیئر ایکٹیویٹیز یا کسی مسلم مدرسے کے لئے استعمال نہیں کیا گیا - کہاں گیا - اسلئے جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس انتظامی ڈھانچے کے ہاتھوں وقف کی پروپرٹی کو برباد ہونے سے روکنے کا بندوبست پورے طور پر کرنا چاہیئے - لہٰذا دھن پیدا کرنے کیلئے کہ وقف کا ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو اسکے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ۵۰

ہزار روپئے کی کم کی گئی ہو مدنی ہو تبھی یہ کیا جائے۔ وہ کیا جائے۔

مشاید میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات رام رتن رام نے کہی ہے کہ جس طرح سے "سول کورٹ" کو بار کیا جاتا ہے اسی طرح سے "لینڈ کورٹ" کو بھی وقف کی جائیداد سے بار کیا جائے۔ "لمیٹیشنس" کا ذکر کیا ہے۔ وقف کی جائیداد کو "لمیٹیشنس" کی قید سے روکئے۔

جلدی جلدی میں نے کچھ باتیں نوٹ کر لی ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وقف بورڈ کے سلسلے میں جہاں جہاں سو فیصدی "لوپ ہولس" ہیں وقف بورڈ کی جائیداد کو لوٹ مار سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اس کی طرف دھیان دیا جائے۔ ان "لوپ ہولس" کو ہم کیسے بند کر سکتے ہیں۔

میں آخر میں کہوں گا کہ یہ کوشش یقیناً قابل داد ہے۔ اسمیں خدا کے واسطے کم سے کم ایک تو احسانات نہ رکھئے اور دوسرا اس سے سیاسی مائلیج اسمیں سے نکالنے کی کوشش کیجئے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔]
"ختم شد"

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا تھا کہ جس طریقہ سے آپ نے ایسی شرط رکھی ہے کہ شیعہ حضرات کی نمائندگی ضرور ہو وقف بورڈوں میں اسی طریقہ سے میں درخواست کرونگا کہ یہ اہل تصوف۔ سجادہ نشین صوفی مسلم کچھ بھی کہئے وہ بھی ہر وقف بورڈ میں کیونکہ ہماری بڑی بڑی درگاہیں قریب قریب ہر بڑے شہر اور ہر صوبے میں موجود ہیں تو کسی ایک سجادہ نشیں کو وقف بورڈ میں ضرور رکھا جائے یہ میری درخواست ہے۔]

उपसभापति : इनकम बढ़े तो वही सबसे बड़ी बात है। केसरी जी इतना कर रहे है। उनकी कोशिशों से कुछ हो जाए आप लोगों की मदद से तभी टीक रहेगा। गौतम जी अभी भी कुछ रह गया है कहने के लिए ?

श्री सघ प्रिय गौतम : उपसभापति महोदया, मैं यकीनन केसरी साहब के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जम्मू-कश्मीर मे भी लागू हो, यहा पर यह बात चर्चा के दौरान आई। मजहब की भी बात आई। मेरा अपना अकीदा यह है कि धर्म मजहब और रिलीजन यह अच्छे हों या बुरे हों लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत बड़ी तादाद में दुनिया के लोग इसको मानते है। जब मानते हैं तो हमें भी दुनिया मे रहना है और उन धर्म और मजहबों के रहते हुए

हमें अपने निर्णय लेने है । मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी धर्म, मजहब हो अच्छाई किसी न किसी में कोई है और मेडम मैं आपकी तवज्जोह चाहूंगा खास तौर से मेरे जजबात को मद्दें नजर रखते हुए मैं अपने ख्याल के मुताबिक बुद्धिज्म की फिलासफी क्रिश्चियनिटी का सेवा भाव इस्लाम का भाईचारा और हिन्दुओं की सहनशीलता यह चार विशेष बातें मैं मानता हूं । जब मुसलमानों के भाईचारे की बात मैं कहता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है–

एक ही सफ में खडे हो गड़े महमूदो-अयाज़
न कोई बन्दा रहा और न कोई बन्दा नवाज़ ।

यही नहीं इस्लाम में और भी अच्छी बाते हैं जिनको मैंने देखा भी है और जिनका मैंने तजरूबा भी किया है । मसलन खैरात इस्लाम में जरूरी है । अहलेइस्लाम मुस्लिम सूद नहीं लेंगे और लेते भी नहीं हैं बहुत कम लेते हैं । मैडम् दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लोग खास तौर से मैंने मुस्लिम होटलों में खाना खाया है । एक ही जगह पर मुखतलिफ मजहब में यकीन करने वाले लोगों के होटल और मीनू एक ही हों तो मुस्लिम लोगों के होटलों का बिल कम आता है और वह मुनाफा भी कम लेते हैं । मैंने यह भी देखा कि तबलीब के लिए जाना भी जरूरी है । तबलीब के लिए भी लोग जाते हैं । मजहब में उनका इतना अकीदा है । लिहाज़ा यह जो वक्फ है जैसे कि सिकन्दर साहब ने कहा कि आपको याद होगा शाहबानो साहेबा के प्रकरण में यह बात आई थी कि खर्चा खानगी कोई डाइवोर्सी को मना कर देगा तो उसे वक्फ बोर्ड खर्च खानगी देगा । तो वक्फ की जायदाद की बहुत बड़ी कीमत है इस्लाम के नुक्तेनज़र से । इसलिए इसकी हिफाजत तो होनी चाहिये । अब इसका दुरुपयोग भी कई तरीके से होता है । इसकी तरफ मैंने आपका ध्यान दिलाया । पर इसमें मुझे कुछ कमियां नज़र आई । मुझे एक बात याद आती है कि सन् 1954 में यह कानून बना, तीन बार इसमें संशोधन हुआ 1959 1964 और 1969 में 15 साल में तीन बार और 1984 में कम्प्रेहेंसिव बिल आया और उस बिल की मुखालफत बहुत ज्यादा हुई । नीयत साफ होनी चाहिये और काम-आवाम के मफाद का होना चाहिये । अफज़ल साहब मैं आपकी तवज्जोह चाहता हूं मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं । नीयत साफ होनी चाहिये और काम आबाम के मफाद का होना चाहिये आलोचना तो होती होती है । एक बुढ्ढा और एक बालक टट्टू लेकर सफर को चले । पहले गांव में बुढ्ढा टट्टू पर बालक नीचे । गांव के लोग बोले इस बुढ्ढे को शर्म नहीं आती । खुद तो टट्टू पर बैठा है और बालक को पैदल चला रहा है । अगले गांव में बालक टट्टू पर और बुढ्ढा नीचे और उस गांव के लोग बोले इस बालक तो शर्म नहीं आती खुद टट्टू पर और बुढढे कों पैदल चला रहा है । अगले गांव में दोनों पैदल टट्टू खाली , गांव के लोग बोले इन बेफकूफों को देखो जब टट्टू सफर को जाना ही था तो टट्टू को खाली क्यों ले जा रहे हैं अगले गांव में दोनों टट्टू के ऊपर बैठे बये । उस गांव के लोगों ने कहा कि इन दोनों को शर्म नहीं आती टट्टू की पीठ तोड़े डाल रहे हैं । अगले गांव मे जब पहुंचे तो दोनों नें टट्टू को अपनी पीट पर लाद लिया और अगले गांव के लोग बोले देखो बेवकूफो को टट्टू को पीठ पर लादे ले जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने तरीके टट्टू के साथ हो सकते थे उन्होंने सब अपनाए लेकिन समाज ने उनको बख्शा नहीं बगैर आलोचना के । कोई भी विधेयक आएगा या कोई भी निर्णय जब होगा, आलोचना होगी नीयत साफ होनी चाहिये और काम मफाद का होना चाहिये । इसमें दो तीन बातें ऐसी हैं जो शक जाहिर करती हैं। अभी जैसे बेबी साहब चले गए एक जिक्र इन्होंने किया कि आमतौर से ये मजहबी इदारे या मजहब के डेग्नेड आतंकवादियों के ठिकानों का शिकार बनते है । जगमोहन साहब यहां नहीं है उनका संदर्भ दिया उन्होंने । शायद जगमोहन जी की नीयत इसके पीछे यही रही होगी कि अगर जम्मू काश्मीर में यह लागू हो जाता तो चरारे शरीफ आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनता । चूंकि

यह मुसलमानों के मुताल्लिक है और इसमें हिंदू, ईसाई, सिख का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यह सारे देश में लागू होना चाहिए। शायद उनकी मंशा यही थी। आपने केवल पंजाब का जिक्र किया। यह तो मैडम होगा ही होगा लेकिन हमारे ऊपर मुनहसिर करता है कि हम क्या करते है।

दूसरी बात यह है कि जब वहां आतंकवादी छिपेंगे और सरकार हस्तक्षेप करेगी तो जैसे अभी आपने उद्देश्य बताया केसरी जो इस विधेयक को लाते समय तो उसमें आपने यह भी कहा कि मुसलमानों की तरफ से बड़ी भारी मुखालफत हुई, बड़ा दबाव था 1984 में संशोधन विधेयक आने के बारे में कि दखलंदाजी हो रही है सरकार द्वारा, तो अब आप आतंकवादियों को पकड़ने जाएंगे तो इसे भी लोग दखलंदाजी कहेंगे। इसलिए कोई ऐसा प्रावधान इसमें डालिए कि अगर आपको इन्फारमेशन मिलती हैं। कि मजहबी स्थानों में कोई आतंकवादी इकट्ठे होते हैं तो उनको तलाश करने का अधिकार स्टेट को होना चाहिए वह दखलंदाजी नहीं समझी जानी चाहिए कानून की निगाह में।

दूसरे, राजनीतिज्ञों की तरफ से गया सिंह जी ने इशारा किया। मेरी भी यह मंशा है कि एक तरफ तो राजनीतिज्ञों से छुटकारा पाना चाहते है और दूसरी तरफ विधायकों और सांसदों में से आपके वक्फ बोर्ड के मेम्बर निर्वाचित होंगे। तो इसमें इतना संशोधन कर लीजिए कि वे सांसद और विधेयक जिनकी तरफ गया सिंह जी ने इशारा किया कि जो नामीनेटेड होते है। राज्यसभा में 12 सदस्य नामीनेटेड होते हैं। मैडम मुझे दुरुस्त कर दें अगर मैं गलत हूं। जनाब मौलाना असद मदनी साहब भी इस सदन के मेम्बर थे, शायद वे नामीनेटेड थे। इसलिए कि उनके मजहबी दायरे से ताल्लुक है तो ऐसी एक पाबंदी इसमें लगा दी जाए कि पार्लियामेंट के वे सदस्य...

उपसभापति : वे नामीनेटेड नहीं थे, इलेक्टेड थे।

श्री संघ प्रिय गौतम : इसलिए मैंने कहा कि दुरुस्त कर दीजिए।

उपसभापति मैंने कर दिया आपको दुरुस्त।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आपको। मैंने आपसे पहले इजाजत चाही थी। "शायद" लफ्ज मैंने कहा था। तो ऐसे लोग जो मजहबी इदारों से मुताल्लिक रहे हों अगर वे असेम्बली या पार्लियामेंट में आते है तो उनको आप मेम्बर बना दें।

अब अफजल साहब कहते है कि एक मुकदमा 12 साल से चल रहा है। मुकदमा करने वालों को तो हम रोक नहीं सकते। बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि पर 400 साल से मुकदमा चल रहा है। कोई फरीक मानने को तैयार नहीं है। बौद्धगया में बौद्ध और हिन्दुओं के बीच सैकड़ों साल से मुकदमा चल रहा है और कोई मानने को तैयार नहीं। आप यह कहिए कि वकील इसमें पैरोकारी करें। असल में वर्गर फीस के वकील पैरोकारी नहीं करते है और वक्फ वालों के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं होता वकीलों के लिए। इसलिए आप इसमें यह भी प्रावधान बनाएं कि जो आपके वकील पार्लियामेंट और असेम्बली मेम्बर हैं, अपनी कुछ फ्री सेवाएं ऐसे मामलों के लिए दें। प्रावधान ऐसा हों और जल्दी इसमें पैरोकारी करें तो ये मुकदमे लम्बे दिनों तक नहीं रहेंगे।

जहां तक केसरी जी की नीयत का सवाल है मैं उस पर शक नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा केसरी जी कि वोटों की मन्शा नहीं होनी चाहिए किसी के पीछे। दो तीन विधेयकों में मैं देख रहा हूं। काफी दिनों से यह विधेयक विचाराधीन है और 10-12 साल से इसमें कवायद हो रही है तो आप इतने विलम्ब से इसे संसद् के सामने क्यों लाए। यह 1993 का है। अब दो साल के बाद इस पर क्यों चर्चा करा रहे है इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की और जब आपको पहले से उनकी इतनी चिंता थी तो इस बात से हमें आपकी नीयत पर शक हो जाया करता है कि चुनाव नजदीक हैं इसलिए शायद आपकी नीयत में यह बात रही हो वरना अगर नीयत

सही है तो इस पर चर्चा आपको पहले करानी चाहिए थी । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा । खैर, देर आयद दुरूस्त आयद ।

एक अच्छा काम लेकर आए । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं, मेरे लीडर बैठे हुए हैं सिकन्दर बख्त साहब, उनसे इजाजत लेकर . . . . । उनसे इजाजत ले करके कि वक्फ की जायदाद महफूज रहे, कब्रुस्तानों की भी जरूरत पड़ेगी । जगह बहुत कम हो रही है, स्कूलों की भी जरूरत पड़ेगी । इतनी आबादी बढ़ रही है । कहां से हम कब्रुस्तान लायेंगे ? . . (**व्यवधान**) आप मुझे बताइये कि इतनी आबादी बढ़ रही है तो कहां से कब्रुस्तानों के लिए जबह आएगी ? आप मुझे गलत मत समझिए । . . (**व्यवधान**) तो इसलिए वक्फ की जायदाद महफूज रहे उसकी इबादत हो, स्कल भी उसमें बनेंगे और उसमें यतीमखाने और मुसाफिरखाने भी बनेंगे । लोग कहां आ करके ठहरेंगे ? जिनको आप कहते हैं रेन बसेरे, जो लोग बगैर मकान के रह रहे है वे ऐसी जगहों पर हो तो रहेंगे । तो मुसाफिरखाने बने, यतीमखाने बने स्कूल बने शिफाखाने बने, कब्रुस्तान के लिए जगह हो । इसलिए इसकी हिफाजत होना बहुत जरूरी हैं । तो आप एक प्रावधान इसमें सजा का नहीं डाला है आपने बहुत से उसमें अगर कोई मुतलवी जान बूझकरके अगर इसकी अवहेलना करता है कानून की, मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि मुझे आप दुरुस्त कर देंगे . . . (**व्यवधान**) आज आया है संशोधित तो लिहाजा अगर इसमें प्रावधान है तो वैल एंड गुड और अगर नही है तो कोई ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि जो इस कानून का उल्लंघन करेगा वह कानून के इरादे में सजा याफ्ता होगा ।

मैं आपके बिल का समर्थन करता हूं । बहुत बहुत धन्यवाद ।

उपसभापति : अभी केसरी जी, इस पर भाषण जितने लोगों को करना था वह तो पूरे हो गए । देअर आर सम अमेंडमेंटस, इसमें काफी अमेंडमेंट्स आए हैं श्री राम रतन राम जी की तरफ से तो बहुत 50 अमेंडमेंट्स हैं । 50 नहीं हैं कुछ कम हैं नंबर 33 के लिए कांग्रेस के मैंबर न भी दिए है । दे फील इसमे वह कहते है कि अगर आप उस पर गौर कर लें छोटी-छोटी चीज हैं कोई खास नहीं है । . . . (**व्यवधान**) लेकिन कुछ थोड़ा मैं आपको बता दूं कि किस पर अमेंडमेंट है । आप बोलगे तो उसमें आपको आसानी रहेगी । . . (**व्यवधान**) अमेंडमेंट जो यह बोल रहे थे कुछ छोटी-छोटी एक आध वर्ड का है । एक तो श्री राम रतन राम जी ने क्लाज 3 पर अमेंडमेंट दिया है । पेज 2 पर लाइन 2 में आफ्टरदा वर्ड बैनिफिशरी यह कहते है कि,

After the words "beneficiary" means a person' the words "not being an unauthorised occupant, tenant or elssee in wakf" be inserted.

मतलब किसी ने अनअथोराइज्ड कब्जा किया है, कोई टेनट है. . . (**व्यवधान**)

श्री सीता राम केसरी : महोदया में इस पर कह देना चाहता हूं । महोदय, मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था और सिकन्दर बख्त साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने यह कहा कि उन्होंने पढ़ा नहीं मगर पूरे पन्नों को उलट करके हमारे सामने रख दिया इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं । दूसरी बात, मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी तकरीर नही देना चाहता हूं और गौतम जी ने ठीक ही कहा कि नीयत होनी चाहिए और उनका इतमीनान अगर मेरी नीयत पर है तो स्वागत है, नहीं है तब भी स्वागत है और यह बिल तकरीबन सभी मुस्लिम भाइयो से बात हमने की हैं, इसमें समय लगा उन्होंने कहा कैसेंसस के लिए समय लगता है और अगर हम समय नहीं लागते जल्दी में लाते तो आपने देखा कि मंडिल कमीशन की घोषणा पर कितना विशाल बवंडर हो गया । मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन आम सहमति के आधार पर किया गया तो कहीं बवंडर नहीं हुआ । इसलिए आम सहमति की अनिवार्य आवश्यकता होती है । महोदया, मैं उन चीजो में नहीं जाना चाहता, मगर यह बिल खुद शुद्ध है, साफ है और गारंटी के साथ है । गया सिंह जी ने अपने विचार रखे थे यह कहना चाहता हूं कि जहां

तक लोकसभा के सदस्य का सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का सवाल है नुमांदगी उनके हाथ मे है । ये सभी लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज का, जिस समाज के संबंध मे मुझे यह बिल लाना पड़ा है । इसलिए इसमें हमने सारे प्रावधान रखे हुए हैं । जिस स्टेट का जितना पॉपुलेशन है उसके आधार पर 7 से 13 तक सदस्य उसमे हो सकते है । जहां तक कानून का सवाल है अगर कहीं गड़बड़िया होंगी तो उसके लिए भी ट्रिब्यूनल का प्रबंध है ।

महोदया, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन लाने की बात कही । तो मैं यह कहना चाहता हू कि इतनी वार्ता के बाद इतने डेलिवरेशंस के बाद, कंसल्टेशंस के बाद हम खुद संशोधन लाए हैं फिर बात होने पर । तीन चार संशोधन मैंने खुद किए है बिल पेश करने के बाद । मैं यह भी कहना चाहता हू कि बिल पेश हुए तकरीबन 5–6 महीने हो गए, मैंने हमेशा कोशिश जल्दी-से-जल्दी काम करने की की है । अफजल साहब ने ठीक ही कहा वक्फ की प्रापर्टीज के संबध में। अगर यह नहीं सोचा जाता नहीं समझा जाता और नहीं जानकारी होती कि वक्फ प्रापर्टी जो कि मुसलमान भाइयों का धार्मिक स्थल है उसका किस तरह से नाजायज लाभ उठाते हैं, मैं ज्यादा दूर तक गए बगैर इतना ही कहूंगा कि प्रॉपर्टी से समाज को और मुसलमान भाइयों को जो लाभ होना चाहिए था वह नहीं हो पाया और यही वजह है कि यह बिल सन् 54 में भी आया, 84 में भी आया और आज 95 में यह बिल लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं । श्री राम रतन राम जी का जो संशय है मैं कहना चाहता हूं कि इस मे संशय का स्थान नहीं है । संशोधन के संबंध में भी मैं निवेदन करूंगा कि आप पुनः बिल देख लीजिए । मैं मानता हूं कि आपने इसे पढ़ा है और यह संशोधन लाए है मगर मैं कहना चाहूंगा कि हमने सभी मुसलमान भाइयो से बात की है, मिनिस्टर्स से बात की है, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स से बात की है, वक्फ कौंसिल के सदस्यों से बात की है और सभी लोगों से बात करने के बाद हम यह बिल लाए हैं । इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि आप अपने संशोधन को देख लीजिए कि जिन बातो को इसमे रखना है, हमने रखा है कि नहीं ? हमने साफ तौर पर रखा है।

महोदया, जहां तक जनतांत्रिक व्यवस्था की बात है, उसके लिए जो इलेक्टोरल मण्डल हो सकता है, वह हमने दिया है । जहां तक पहले कमिश्नर को ताकत थी, अब जो एक्जीक्यूटिव होगा उसको मेम्बर की हैसियत नही होगी । जहां मेरे भाइयों ने चेयरमैन को हटाने की बात कही, उस बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि चेयरमेन हो या सदस्य हो, जब तक कि उनके व्यक्तिगत चरित्र पर कोई गहरा आरोप नहीं होगा, तब तक उन पर चेंज लागू नहीं होगा । उनको हटाने का प्रश्न नहीं उठेगा । तीसरी बात यह है कि अब तो यह हर स्टेट में, अपनी अपनी स्टेट में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जो बोर्ड बनेगा, वह उसको देखेगा, उसको समझेगा, उसमे जो खामियां होंगी, उस पर वह विचार करेगा । वह बोर्ड स्वतः एक आटोनोमस बोडी होगा । उस पर किसी के हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता है । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बिल को ज्यों का त्यों पास कर दें ।

मैडम, हम यह मानते है, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि कितनी हमें कठिनाइयो का सामना करना पड़ा है । जब कभी बैठे है, मतभेद हुए हैं । फिर बुलाई है मीटिंग, फिर बुलाई है मीटिंग । एक नही, कम से कम 23 मीटिंग लोगो के साथ की हैं और इन सभी लोगों से बात की है ।

मैडम, एक चीज और हमारे भाई ने चुनाव मेनिफेस्टो की कही । मैं इस पर साफ कर देना चाहता हूं कि कोई भी दल सत्ता में होता है, हमारा दल होता है या आपके भी दल होंगे, जब आपके मैनिफेस्टो में यह घोषित है तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि भाई, देशवासियों के सामने हमने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया था, इसलिए वह आपके सामने पेश कर रहे है । ऐसी अपनी सफाई देते हैं । इसका लाभ, नहीं लाभ, वह दूसरी बात है ।

हमारे सिकन्दर बख्त साहब ने सेकुलरिज्म की बात कही । मैं यह साफ कहना चाहता हूं सेकलरिज्म के संबंध में, कि यह बड़ा भारी इंटरएक्चुअल वर्ड है और बहुत साधारण शब्द भी है । साधारण शब्द दुख और सुख, या जो भी कहिए, मेरी जिंदगी की संख्या है, मैं तकरीबन 78 से ऊपर हो चुका हूं, 65 साल से ज्यादा मेरी राजनीतिक जिंदगी रही है, आजादी की लड़ाई में हमने गांधी जी से जो सीखा, जवाहर लाल से सीखा, वह सेकुलरिज्म मैं जानता हूं । मैं किताबों के सेकुलरिजम को नहीं जानता हूं ।.. **(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, मैंने सेकुलरिज्म के लफ्ज पर एक बात एतराज की नहीं की है, उसमें आप तकलीफ क्यों फरमा रहे हैं ? .. **(व्यवधान)**

†[شری سکندر بخت: صدر صاحبہ میں نے سیکولرازم کے لفظ پر ایک بات اعتراض کی نہیں کی ہے - اسمیں آپ تکلیف کیوں فرمارہے ہیں ... "مداخلت" ...]

श्री सीता राम केसरी : मैंने सुना, आपने कहा । ... **(व्यवधान)** ....

श्री सिकन्दर बख्त : यह बेमौका इस्तेमाल करना है । ... **(व्यवधान)** ... सदर साहिबा, मुझे बहुत ज्यादा एतराज है इस बात पर । ऐसा लग रहा है कि मैं सेकुलरिज्म का मुखालिफ होकर खड़ा हुआ हूं । सवाल यह है कि आप एक टैक्नीकली गलती कर रहे हैं । मैंने उसकी तरफ इशारा किया है । यह इतनी ज्यादती मत कीजिए मेरे साथ ।...

†[شری سکندر بخت: یہ بے موقع استعمال کرنا ہے - ... "مداخلت" ... صدر صاحبہ - مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے اس بات پر - ایسا لگ رہا ہے کہ میں سیکولرازم کا مخالف ہو کر کھڑا ہوا ہوں - سوال یہ ہے کہ آپ ایک ٹیکنیکلی غلطی کر رہے ہیں - میں نے اسکی طرف اشارہ کیا ہے - یہ اتنی زیادتی مت کیجئے میرے ساتھ ...]

श्री सीता राम केसरी : नहीं, मैं कोई ज्यादती नहीं करता । अगर मेरे शब्दों से किसी भी माननीय सदस्य को चोट लगती है तो मैं साफ तौर से कहता हूं कि मुझे दुख होगा । चूंकि चाहे तो मैंने कान में गलत समझा या चूंकि मैंने जैसा कहा मैं कम पढ़ा-लिखा आदमी हूं, जरा कम समझा होगा, मगर सेकुलर शब्द इस्तेमाल हुआ है । वह वही मैंने समझा है, जो 65-66 साल की सियासत की जिंदगी में मैंने पढ़ा है ।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, मेरा सख्ततरीन एतराज रजिस्टर किया जाए । मैंने सेकुलरिज्म के शब्द की रत्ती बराबर भी मुखालफत नहीं की है । यह क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे है? आपका जो भी उसमें रहा होगा, उम्र भर आपने उसमें गुजारी है, खुदा करे उस लफ्ज का साया आप पर कायम रहे । हम भी दुआ मांगते हैं, लेकिन टेक्नीकली गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है उस लफ्ज को ।

†[شری سکندر بخت: صدر صاحبہ - میرا سخت ترین اعتراض رجسٹر کیا جائے - میں سیکولرازم کے شبد کی رتی برابر بھی مخالفت نہیں کی ہے - یہ کیا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں - آپکا جو بھی اس میں رہا ہوگا عمر بھر آپنے اسمیں گزاری ہے - خدا کرے اس لفظ کا سایہ آپ پر قائم رہے - ہم بھی دعا مانگتے ہیں - لیکن ٹیکنیکلی غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے اس لفظ کو]

• †[ ]Transliteration in Arabic Script

श्री सीता राम केसरी : ठीक है । मिस्टर वेबी साहब ने एक बात कही, उसके लिए मैं उनको एश्योर करता हूं । उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में एक लेटर 1993 में आया था वक्फ बोर्ड के संबंध में, मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि हमारे यहां से जवाब नहीं गया । मैं इसकी प्रोपर इन्क्वायरी करूंगा । मैं आपको एश्योर करता हूं ।

उपसभापति : केसरी जी, मैंने पढ़ें है, सरकार की तरफ से खुद 21 अमेंडमेंट हैं । मैं एश्योर हूं, वह इसमें खुद ही आ गए होंगे। यह जो ओरिजनल बिल है, इसमें खुद 21 अमेंडमेंट लेकर आए हैं । आप देखिए ।... (**व्यवधान**) ... वह जो सेकुलरिज्म की बात कही है, वह मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं । वह इस सिलसिले में है कि वक्फ की जो प्रोपर्टी है, जैसा मैंने पहले कहा, कि उसमे जो दरगाह होती है, मस्जिद होती है, उसकी एक्टिविटी छोड़कर उसके अलावा भी वहां अगर कोई इकानोमिक एक्टिविटी होती है तो वह रिलीजियस नहीं हुई, वह सैकुलर ही हुई। तो उसके सिलसिले में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है । यहां तक मेरी समझ में आया है ।

श्री सीताराम केसरी : आपने ठीक कहा । माननीय उपसभापति जी,... (**व्यवधान**) ...

उपसभापति : अंदर इक्नामिक एक्टीविटी । किराए पर दिया, कोई उसमे आदमी ... (**व्यवधान**) ...

श्री संघ प्रिय गौतम : यह सैकुलर नहीं है सोशल है ।

उपसभापति : कोई सोशल एक्टिविटी हो, रिलीजियस एक्टिविटी से अलेहदा करके मतलब है । उसमें दखलंदाजी न हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ है, जहां तक मैं समझती हूं ।

श्री सीता राम केसरी : जहां तक एन्क्रोचमेंट का प्रश्न है 30 साल की सेवा रहते हुए हमारे राम रतन राम जी ने कहा, उस सवाल के संबंध मे मैं इतना कहना चाहता हूं कि 30 साल की सीमा है और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अभी इस बिल के बाद भी अगर आवश्यकता समझी गई, क्योंकि बहुत सारे वक्फ की प्रापर्टी कुछ ऐसे लोगों ने, जैसे हमारे अफजल साहब ने कहा कि फाइव स्टार होटल है या कोई स्कूल है वक्फ की प्रापर्टी पर, मैं मानता हूं कि यह दुख की बात है और इस तरह से एक ही जगह पर नहीं सारे देश में वक्फ की प्रापर्टीज़ पर लोगों ने एन्क्रोच कर रखा है । यही वजह है कि यह बिल आपके सामने, आपके पास सभी लोगों की राय से पेश है, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई भी किया जाएगा, यह भी आवश्यकता है । इस बिल के अलावा भी सरकार की तरफ से मैं कहता हूं कि उन प्रापर्टीज को हम आइडेंटिफाई कराएंगे और देखेंगे, यह मैं आपको एश्योर करता हूं ।

मेरा ख्याल है कि मैंने सारी चीजों को आपकी खिदमत में रखा है और मैं यह निवेदन करता हूं कि इस बिल को ज्यों का त्यों आप पारित कर दें । यही मेरा प्रस्ताव है, यही मेरा निवेदन है ।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, एक मिनट । एक बात है, आई एम सॉरी ।

†[شری سکندر بخت: صدر صاحبہ - ایک بات ہے - آئی - ایم - ساری]

उपसभापति : जब मैं तीसरी क्लाज पर आऊंगी तो आप बोलिएगा ।

श्री सिकन्दर बख्त : नहीं, यह तीसरी क्लाज की बात नहीं है, मैं जनरली उनसे कह रहा हूं, मैं चाहता नहीं कि इसमें ज्यादा उलझनें पड़े । लेकिन वक्फ प्रापर्टीज की हिफाजत के लिए जो बातें जरूरी हैं, वे तो माननी चाहिए । मैंने आपसे क्लास 108 का जिक्र किया है, मिनिस्टर साहब को उसको मान लेने मे क्या दिक्कत है ? अगर वाकई वक्फ प्रापर्टीज के लिए वे बहुत मश्विरा किए है तो एक हमारा

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

मश्विरा भी शामिल करें उसके अंदर कि क्लाज 108(32) के लिए जो श्री राम रतन राम जी की अमेंडमेंट्स हैं, उनको मेहरबानी करके मिनिस्टर साहब मंजूर करें। वह वक्फ प्रापर्टी की हिफाजत के लिए बुनियादी बात है।

†[شری سکندر بخت : نہیں یہ تیسری
کلاز کی بات نہیں ہے - میں جنرل ان سے
کہنا چاہوں - میں چاہتا نہیں کہ اسمیں زیادہ
الجھنیں پڑیں - لیکن وقف پراپرٹیز کی
حفاظت کیلئے جو باتیں ضروری ہیں وہ تمام
ماننی چاہیئے - میں نے آپ سے "کلاز ۱۰۸"
کا ذکر کیا ہے - منسٹر صاحب کو اسکو مان
لینے میں کیا دقت ہے - اگر واقعی وقف
پراپرٹیز کیلئے وہ بہت مشورہ کرتے ہیں
تو ایک ہمارا مشورہ بھی شامل کریں
اسکے اندر کہ "کلاز ۱۰۸ "(۳۲) کیلئے جو
شری رام رتن رام جی کی امنڈمنٹس ہیں
انکو مہربانی کرکے منسٹر صاحب منظور
کریں - وہ وقف پراپرٹیز کی حفاظت کیلئے
بنیادی بات ہے]

श्री सीताराम केसरी : क्या है वह ?

उपसभापति : क्लाज 32 में 15 पेज पर लाइन 32 के बाद एक इन्सरशन चाहते हैं। आप जरा वह खोलेंगे तो बताऊंगी।

श्री सीताराम केसरी : देखिए, एक चीज मैं फिर कहता हूं आपसे कि यह जो स्टेट बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड जो बनेगा, जो कि अटॉनिमस बॉडी होगी, उसको अथॉरिटी होगी कि हर तरह से वह निर्णय ले सकता है। हम उसको अथॉरिटी देने जा रहे हैं स्टेट बोर्ड को और स्टेट की पापुलेशन के अनुसार स्टेट बोर्ड की स्ट्रेंथ होगी—कहीं 7 होगी, कहीं 13 होगी। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए 13 होगी और हरियाणा जैसे प्रदेश के लिए हम 7, 8 या 9 कर सकते हैं। इस तरह से वहां पर स्टेट का बोर्ड है, उसमें सारी पावर निहित है और उन पावर के अंतर्गत सभी एक्शन वे ले सकते हैं, वहां के हालात के अनुसार।

श्री संघ प्रिय गौतम : नहीं लिमिटेशन का पीरियड है, पहले 12 साल होता था, अब कर दिया 30 साल। आपका अमेंडमेंट यह है कि वक्फ की प्रापर्टी पर कोई लिमिट उसकी नहीं होनी चाहिए।

Every person whosoever is in possion of Wakf Board property shall be liable for ejectment. No State Board can over ride this Act.

उपसभापति : ऐडवर्स आप उस पर बोलिए, बता दीजिए न। .....

(व्यवधान) ...

श्री सिकन्दर बख्त : मैं यह कह रहा हूं कि राम रतन राम साहब के अच्छे-खासे 20-21 अमेंडमेंट्स हैं। मैंने तीन अमेंडमेंट्स के बारे में खास तौर से जिक्र किया है जो कि वाइटल है वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी को महफूज रखने के लिए। फर्ज कर लीजिए कि आप उसको देना चाहते हैं, इसी तरह में दीजिए, क्यों नहीं देते हैं ? वह लिमिटेशन की बात है, 108 है, वह भी पढ़िए उसके अंदर है, वाइटल है, वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत के लिए फिर बनवाइए आप। समझ में ही नहीं आता है।

†[شری سکندر بخت : میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ رام رتن صاحب کے اچھے خاصے ۲۰-۲۱
امنڈمنٹس ہیں میں نے سہ امنڈمنٹس
کے بارے میں ذکر کیا ہے جو کہ وائٹل ہیں
وقف بورڈ کی پراپرٹی کو محفوظ رکھنے

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

کیلئے - فرض کر لیجئے کہ آپ اسکو دینا چاہتے ہیں - اسی ایکٹ میں دیجئے - کیوں نہیں دیتے ہیں - وہ لیجسلیشن کی بات ہے - ۱۰۸ ہے - وہ بھی پڑھئے اسکے اندر ہے - وائنڈ اپ ہے - وقف بورڈ کی جائدادوں کی حفاظت کیلئے پھر بنوائیے آپ - سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے -]

उपसभापति: Let me read page 15. Kesriji,

पेज 15 पर क्लाज 32 जो है, उसमे यह ऐड कर रहे हैं केसरी जी, पेज–15 पर जो क्लॉज–32 है। उसमें यह ऐड कर रहे है :

"After the line 32, the following should be inserted, namely:—where the Mutawalli is not willing or is not capable of managing the wakf properties referred to in sub-clause (vi) to the satisfaction of the Board, the Board may appoint any person to act as Mutawalli for such period and on such conditions as it may deem fit."

यह चाहते हैं कि इसमें यह सब-क्लॉज ए करें। उसके बाद 108 के बारे में है। मै पढ़कर बतला दूं, तो समझ में आ जाएगा।

श्री सीताराम केसरी : मेरा आपसे फिर यह कहना है कि आप क्लॉज बाइ क्लॉज लें। वहां जब आएगा तब देख लेंगे। पहले इसको तो लेते जाइए।

श्री सिकन्दर बख्त : हम तो इकट्ठा मान लेंगे साहब, क्यों इतनी वरजिश कर रहे हैं। उसमें तो हजारों....... **(व्यवधान)**

†[شری سکندر بخت : ہم تو اکٹھا مان لینگے صاحب - کیوں اتنی ورزش کر رہے ہیں اسمیں تو ہزاروں ... مداخلت...]

उपसभापति : राम रतन राम जी, जब क्लॉज बाई क्लॉज आएंगे, आपको हम एलाऊ कर देंगे।

श्री राम रतन राम : क्लॉज बाई क्लॉज तो करना ही पड़ेगा और फिर हमें अमेंडमेंट देना है।

उपसभापति : क्लॉज बाई क्लॉज करें, मैं शुरु से यही कह रही थी सिकन्दर बख्त साहब को, क्योंकि केसरी जी की तरफ से भी अमेंडमेंट आए हैं। वह क्लॉज बाई क्लॉज जाएंगे तो उस वक्त आप बोल दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा जो आपका व्यू पोइंट है।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं सवा छः बजे उठ जाऊंगा। पता नही, रात तक बैठना पड़ेगा।

†[شری سکندر بخت : میں سوا چھ بجے اٹھ جاؤنگا - پتہ نہیں رات تک بیٹھنا پڑیگا -]

उपसभापति : अगर प्रोपर्टी बचानी है तो रात भर बैठ जाइएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। I shall now put the motion moved by Shri Sitaram Kesri to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the better administration of Wakfs and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration"

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. There are some amendments. But nobody is moving them.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

†[] Transliteration in Arabic Script.

Clause 9 (Establishment and constitution of Central Wakf Council)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will now put clause 9 to vote. There is one amendment by Mr. Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 6, *for* lines 41 to 43 the following be *substituted* namely:—

"2. The Council shall consist of,—

(a) the Union Minister in charge of wakfs —ex-officio Chairperson;

(b) the following members to be appointed by the Central Government from amongst Muslims, namely:—

(i) three persons to represent Muslim organisations having all-India character and national importance;

(ii) four persons of national eminence, of whom two shall be from amongst persons having administrative and financial expertise;

(iii) three Members of Parliament, of whom two shall be from the House of the People and one from the Council of States;

(iv) chairpersons of three Boards by rotation;

(v) two persons who have been Judges of the Supreme Court or a High Court;

(vi) one advocate of national eminence;

(vii) one person to represent the mutawallis of the wakfs having a gross annual income of rupees five lakhs and above;

(viii) three persons who are eminent scholars in Muslim Law."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clauses 10 to 13 were added to the Bill

Clause 14—Composition of Board

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments, Nos. 4 and 5, by the Minister.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 9 *for* lines 17 to 19, the following be *substituted*, namely:—

"section (1), the ex-Muslim Members of Parliament, the State Legislature or ex-member of the State Bar Council, as the case may be, shall constitute the electoral college."

Madam, I also beg to move:

"That at page 9, *for* lines 26 and 27, the following be *substituted*, namely:—

"(4) The number of elected members of the Board shall at all times, be more than the nominated members of the Board except as provided under sub-section (3)."

The questions were put and the motions were adopted.

Clause 14, as amended, was added to to the Bill.

Clauses 15 to 19 were added to the Bill.

Clause 20 was added to the Bill.

Clause 21 was added to the Bill.

Clauses 22 to 24 were added to the Bill.

Clause 25—Duties and powers of Chief Executive Officer

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, No. 6, by the Minister.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 12, line 4, *for* the words "sanctioned by the Muslim Law" the words "sanctioned by the school of Muslim law to which the wakf belongs" be *substituted*."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

Clause 26—Powers of Chief Executive Officer in respect of orders or resolutions of Board.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, No. 7, by the Minister.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 12, lines 21 and 22, *for the* words "if there is no unanimity at the stage of re-consideration" the words "if such order or resolution is not confirmed by a majority of vote of the members present and voting after such reconsideration" be *substituted*."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 26, as amended, was added to the Bill.

Clause 27 was added to the Bill.

Clause 28 — Chief Executive Officer to exercise powers through Collectors, etc.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, No. 8, by the Minister.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 12, line 32, *after the* words "under this Act" the words "with the previous approval of the Board" be *inserted*."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

Clause 29 was added to the Bill... Clauses 30 and 31 were added to the Bill.

Clause 32—Powers and functions of the Board.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are some amendments by Shri Sitaram Kesri and Shri Ram Ratan Ram.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 13, for line 33 following be substituted, namely:-

sanctioned by the school of Muslim law to which the wakf belongs."

The question was put and the motions were adopted.

SHRI RAM RATAN RAM: Madam, I beg to move:

(45) "That at page 1, line 32, *after* the words:—

"concerned wakf" the words "if considered by the Board to be capable to manage such properties to its satisfaction" be *inserted*."

(46) "That at page 15, *after* line 32, the following be *inserted*, namely:—

"(7) where the Muttawalli is not willing or is not capable of managing the Wakf properties referred to in sub-clause (6) to the satisfaction of Board, the Board may appoint any person to act as Mutawalli for such period and on such conditions as it may think fit".

The questions were proposed.

6 P.M.

श्री सिकन्दर बख्त : नहीं, क्या हम लोग यहां से जाएं, अगर इसी तरीके से करना है तो ?

उपसभापति : नहीं, वह अब हो गया है ।

श्री सिकन्दर बख्त : क्या हो गया है ?

श्री राम रतन राम : 32 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

उपसभापति : आप बोलेंगे, मैं आपको बुलवाती हूं । आप बोलिए । रहमान खान का तो आएगा नहीं । अब आप बोलिए अपने अमेंडमेंट पर । आपका अमेंडमेंट है, आप बोलिए । मैं न थोड़ा ही बोल रही हूं आपको ।

श्री राम रतन राम : क्लॉज 32 के पैरा 6 में लिखा है कि आफ्टर आल दी एक्सपेंसिज, इसका बैकग्राउंड यह है कि अगर मुतवल्ली और चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है किसी जमीन पर, वक्फ की जमीन पर कोई डवलपमेंट करना चाहता है और अगर मुतवल्ली एग्रीएबल नहीं होता है तो चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर अपनी कार्यवाही करने के बाद उसको डैवलप करेगा । यह प्रोविजन दिया गया है कि डैवलप करने के बाद फिर उसी मुतवल्ली को हैंड ओवर कर देगा । हमारा प्रश्न इसमें यह था उस मुतवल्ली को क्यों करेंगे जब कि वह शुरू से ही अपोज कर रहा है । इसलिए दूसरे को दिया जाए । इसमें यह लिखा है कि "If considered by the Board to be capable of managing such property to its satisfaction." This is the amendment which I am moving. Such Mutawalli should not be handed over the property developed by the Chief Executive Officer.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम वजन है इसमें क्योंकि मुतवल्ली इसे बराबर अपोज कर रहा है ।

श्री राघव, जी (मध्य प्रदेश) : मिनिस्टर साहब, आप इसको मान लें ।

श्री गोविन्द राम मिरी (मध्य प्रदेश) : बहुत इम्पोर्टेंट है यह । जो विरोध कर रहा है, उसी को वापिस देना, कोई तुक नहीं है ।

श्री सीता राम केसरी : महोदया, मैं माननीय सदस्य जी को यह कहना चाहता हूं कि जब कभी डिसप्यूट होता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल है और बोर्ड भी है । इसीलिए डिसप्यूट को सैटल करेगा, ट्रिब्यूनल या बोर्ड । इसलिए I request you to withdraw your amendment.

श्री संघ प्रिय गौतम : डिसप्यूट की नौबत आए ही क्यों, लिटीगशन तक नौबत पहुंचे ही क्यों ?

Why can't you avoid the litigation?

श्री सीताराम केसरी : मेरा मतलब यह है कि एक प्रावधान रहता है और इसीलिए बोर्ड जो होता है या जो उसमें ट्रिब्यूनल है तो जो डिसप्यूट हुआ, उसी को सैटल करने के लिए ट्रिब्यूनल और बोर्ड है । तो मेरा आपसे कहना है कि डिसप्यूट हो ही नहीं, यह तो हर चीज में कहना मुश्किल है, चाहे कितना ही बड़ा कुछ बना दीजिए । इसीलिए ट्रिब्यूनल और बोर्ड हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मडम, सौ फीसदी इनवस्टीगेशन को मना करता है । एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहता है कि "I will not investigate this matter." And if that matter is handed over again to the same investigating officer, then what would be the fate of the case? A mutawalli is opposing all through the development of a site and after the development if that very site is handed over to the Mutawalli, what would be the fate of that site? What is the logic behind it? ... *(Interruptions)* ...

SHRI RAM RATAN RAM: Madam, I would like to read para 5 of clause 32 for proper appreciation of my amendment. It states:

> "...the Board, if it is satisfied that the muttawalli is not willing or is not capable of exelcuting the works required to be executed in terms of the notice, it may, with the prior approval of the Government, take over the property, clear it of any building or structure thereon, which, in the opinion of the Board is necessary for execution of the works and execute such works from wakf funds or from the finances which may be raised on the security of the properties of the wakf concerned, and control and manage the properties till such time as all expenses incurred by the Board under this section, together with interest thereon, the expenditure on maintenance of such works and other legitimate charges incurred on the property are recovered from the income derived from the property."

These are the actions to be taken. Then, Madam, after completing all these works, the entire thing should not be handed over to the same mutawalli. My objection is to that.

SHRI K. RAHMAN: If the muttawalli says that he is not capable of developing and he is not developing .. *(Interruptions)* ... he is not willing to develop, then the Wakf Board will take the property and develop. The question here is that the Wakf Board cannot retain the property under the law because the Wakf Board cannot be a muttawalli. Only muttawali can retain the property. The Wakf Board Act itself nowhere defines this... *(Interruptions)*... The Wakf Board has a right to appoint different muttawali. The Wakf Board itself by law cannot be the owner of any property... *(Interruptions)*... The Wakf Board cannot be assigned the role of a muttwali. The removal of muttawalli is also defined. You cannot justify it because he is opposing it. ... *(Interruptions)*... The Act has to define as to how a muttawali has to be removed ... *(Interruptions)*... That has to be there. That is a legal provision.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Because muttawalli is coming from generation after generation. That is the problem or that is the procedure.

वाकिफ के, जिसने वक्फ किया है प्रोपर्टी को, जिसके नाम पर वक्फ होता है वह नसलन बादे नसलन होता है । उसके बच्चे फिर उसके बच्चे, मुतबल्ली होते हैं । तो दूसरे आदमी को कैसे करेंगे । अगर आप कोई प्रापर्टी वक्फ करेंगे तो आप कहेंगे कि यह वह वक्फ अलत औलाद है तो उसकी मुतावल्ली फलां फलां होंगे । तो उनसे हो सकता है । आप मुझको थोड़ा अप्वाइंट कर देंगे ।

SHRI RAM RATAN RAM: I am not pressing my amendments.

The amendment (Nos. 45 & 46) were by leave, withdrawan.

Clause 32, as amended, was added to the Bill.

Clause 33 was added to the Bill.

Clauses 34 and 35 were added to the Bill.

Clause 36 (Registration)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 19, *after* line 13, the following proviso be *inserted*, namely:—

"Provided that where there is no board at the time of creation of a wakf, such application will be made within three months from the date of establishment of the Board".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 36, *as amended, was added to the Bill.*

Clauses 37 *to* 39 *were added to the Bill.*

Clause 40 (*Decision if a property is wakf property*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 21, for lines 31 to 34 the following be *substituted*, namely:—

or whether a wakf is a sunni wakf or a shia wakf it may, after making such inquiry as it may deem fit, decide the question.

(2) The decision of the Board on a question under sub-section (1) shall unless revoked or modified by the Tribunal, be final"

The question was put and the motion was adopted

Clause 40, *as amended, was added to the Bill.*

Clauses 41 *to* 43 *were added to the Bill.*

) *Clause* 44 (*Budget*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 22, lines 30 to 39 *for* clause 14 the following be *substituted*, namely:—

44(1) Every mutawalli of a wakf shall, in every year prepare, in such form and at such time as may be".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 44, *as amended, was added to the Bill.*

Clauses 45 *and* 46 *were added to the Bill.*

Clause 47—(*Audit of accounts of wakfs.*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to this clause—Nos. 13 and 14, by Shri Sitaram Kesri.

श्री संघ प्रिय गौतम : इनके तो सारे अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट है ।

उपसभापति : वह आपकी बात पहले से मान रहें है ।

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 23, line 43, *for* the words "five thousand rupees" the words "ten thousand rupees" be *substituted.*"

That at page 24 *for* lines 1 to 18, the following be *substituted* namely:—

"(b) the accounts of the wakf having net annual income exceeding ten thousand rupees shall be audited annually or at such other intervals as may be prescribed, by an auditor appointed by the Board from out of the penal of auditors prepared by the State Government and while drawing up such panel of auditors; the State Government shall specify the scale of remunera-

tion of auditors; (c) the State Government may, at any time cause the account of any wakf audited by the State Examiner of Local Funds or by any other officer designated for that purpose by that State Government.

The question was put and the motions were adopted.

Clause 47, as amended, was added to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is having an open mind on the Bill. He himself thought and he got the amendment. Whatever he can do, he can do. He cannot change the Wakf Mutawalli. It is beyond him.

Clauses 48 to 50 were added to the Bill.

Clause 51 —(Alienation of Wakf property without sanction of Board to be void.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment to this clause—No. 15 by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 25 *after* line 44 the following proviso be *inserted*, namely:—

Provided that no mosque, dargah or khanqah shall be gifted, sold, exchanged or mortgaged except in accordance with any law for the time being in force."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 51, as amended, was added to the Bill.

Clauses 52 to 55 were added to the Bill.

Clause 56—Restriction on power to grant lease of wakf property.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I will take up Clause 56.

There is one amendment to this clause—No. 27, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam, I endorse the wishes of the Minister. I will not press it, but I request him to reconsider it. There is a technical mistake. If this clause is not amended the Wakf Board, after the development of the property also, you, cannot lease for more than three years which is difficult; it is technical. I appeal to the Minister to reconsider it, not necessarily now. I will not press it now. I request the Minister to keep it in view.

उपसभापति : केसरी जी, आप ध्यान रखियेगा । मूव नहीं कर रहे हैं । आप ज़रा ठीक से समझा दीजयेगा कि क्या टेक्नीकल डिफिकल्टी आ रही है । काफी मेहनत की है इन्होंने और राम रतन राम जी ने भी । रहमान और राम का आप ज़रा शुक्रिया अदा कर दीजियेगा ।

Clause 56 was added to the Bill.

Clauses 57 to 63 were added to the Bill.

Clause 64—(Removal of Mutawalli.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment to this clause—16, by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESHI: Madam, I beg to move:

"That at page 31 *after* line 36 the following be *inserted* namely:—

"(k) misappropriates or fraudulently deals with the property of the wakf."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 64, as amended, was added to to the Bill.

Clause 65, was added to the Bill.

Clause 66—(Powers of appointment and removal of Mutawalli when to be exercised by the State Government).

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment to this clause— No. 17, by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 33, *after* line 30 the following proviso be *inserted*, namely:—

Provided that where a Board has been established, the State Government shall consult the Board before exercising such powers."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 66, as amended, was added to the Bill

Clauses 67 to 75 were added to the Bill.

Clause 76— (Mutawalli not to lend or borrow moneys without sanction.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to this clause— Nos. 18 and 19, by Shri Sitaram Kesri.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 40, line 35, the words "Notwithstanding anything contained in a deed of wakf" be *deleted.*"

I also move:

"That at page 40, *after* line 39, the following proviso be *inserted*, namely:—

"Provided that no such sanction is necessary if there is an express provision in the deed of wakf for such borrowing or lending, as the case may be.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 76, as amended, was added to the Bill.

Clause 77—(Wakf Fund)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to this clause— No. 20, by Shri Sitaram Kesri, and No. 28, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam, I am not moving my amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you can move your amendment.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 41, *after* line 32, the following be *inserted* namely:—

(f) payment of all expenses incurred by the Board for the discharge of any obligation imposed on it by or under any law for the time being in force."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 77, as amended, was added to the Bill.

Clauses 78 to 82 were added to the Bill.

Clause 83—(Constitution of Tribunals, etc.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, No. 29, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam, I am not moving my amendment. But I have a request to make to the hon. Minister. I have suggested in this amendment that instead of one member, every Tribunal should consist of three members. This is very essential for the sake of proper administration of the wakfs. That is why I have suggested here that every Tribunal should consist of three members, in-

stead of one. Only then it would help in the Wakf administration. Therefore, I would appeal to the hon. Minister to reconsider it. I hope he would do it. In that spirit, I am not moving my amendment.

SHRI SITARAM KESRI: I assure you. After consultations, I will do it.

Clause 83 was added to the Bill.

Clause 84 was added to the Bill.

Clause 85—(Bar of jurisdiction of of civil courts.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment, No. 48, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam, I am not moving my amendment.

Clause 85 was added to the Bill.

Clauses 86 to 98 were added to the Bill.

Clause 99—(*Powers of revision of State Government.*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments to this clause. No. 21, by Shri Sitaram Kesri, and No. 30 by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam I am not moving my amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you can move your amendment.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I beg to move:

"That at page 48, lines 9 to 32, "clause 99" be deleted."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 99, *as amended, was added to the Bill.*

Clause 100—(Power to supersed Board.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are two amendments, Nos. 31 and 32, by Shri K. Rahman Khan.

SHRI K. RAMAN KHAN: Madam, I am not moving my amendments. However, I would like to make a point here. This is very important because the State Governments are bound to misuse this thing. Once the Boards are superseded, they would not reconstitute the Boards. This is because there is no time limit fixed here. The supersession can continue indefinitely. If they do not reconstitute the Boards, there is no provision in the Bill to make it incumbent on them to reconstitute the Boards within a certain period. In that case, the entire objective of the Bill would be defeated. Therefore, I would request the hon Minister. This is a discrepancy which should be rectified. The Boards can remain superseded for an indefinite period. When there is no Board, when there is no democratic body, the purpose of the Bill cannot be achieved. Therefore, this point should be considered. This amendment to clause 100 may not be necessary now, but later on, the Government should bring forward an amendment Otherwise, as I said, the entire objective of the Bill would be defeated.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is your amendment?

SHRI K. RAHMAN KHAN: My amendment is that if any State Government supersedes a Board, within one year, they should reconstitute the Board. The maximum time is one year. Within one year they should hold elections. I have suggest one year. Six months is even better.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kesri ji, why don't you concede this? I

think, we have agreed to everything you have brought. I think, this is a very valuable suggestion. (*Interruptions*)

SHRI SITARAM KESRI: It is a very good suggestion. I assure you that I will definitely consider this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you accept it, it can be put to vote now because the State Governments will be beyond your jurisdiction, and they will do what they like. It is better that we put it to vote now. You know how the State Governments are acting. You know it, I know it and everybody else knows it.

श्री सीताराम केसरी : सपोज कीजिए कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट . . . (व्यवधान) मान लीजिए वहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है प्रेसीडेंट रूल है तो टाइम लग जाता है जैसे कि अदर स्टेट्स में होता है . . . . (व्यवधान) मगर सुनिए वह बोर्ड को सुपरसीड क्यों करेगा, यह सोचने की बात है ? It is constituted by the people. Especially, it consists of Members of Parliament of both the Houses or the State Assemblies and other representatives. There is no question of superseding the Board. In case it comes, definitely, I think there should be a tenure for the Board. तो अगर आप समझते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, Kesriji, everybody feels that way. You put some time-limit; as you feel, six months or one year because even under the President's Rule a Board can be constituted. The law is enacted by Parliament. What is there in a Board? नहीं तो फिर रहने दीजिए । . . . . . (व्यवधान)

उपसभापति : ठीक है, कोई बात नहीं . . . (व्यवधान) आप ही अमेंडमेंट कर दीजिए। You move an amendment for having a time-limit of six months. Then, when you go to the Lok Sabha, you formulate it properly, but you insert that it would be reconstituted within six months. If it is superseded, then, within six months. . . .

SHRI SITARAM KESRI: In case it is superseded, then, it will be reconstituted. You look into this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is like this:

That at page 48, lines 42 and 43 *for* the words "such period as may be specified in the notification" the words "a period not exceeding six months" be *substituted*.

Is it okay?

SHRI SITARAM KESRI: Yes. Madam, I move:

"That at page 48, lines 42 and 43 *for* the words "such period as may be specified in the notification" the words "a period not exceeding six months" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted

Clause 100 *as amended, was added to the Bill.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Thank you very much.

I could have moved it from the Chair also because I am a Member of this House. (*Interruptions*)

Clauses 101 *to* 107 *were added to the Bill.*

Clause 108 (*period of limitation for recovery of Wakf properties*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall take up clause 108. There are two amendments, 49 and 50, by Shri Ram Ratan Ram.

आप अमेंडमेंट पर बोल दीजिए ।

श्री राम रतन राम : मैडम, यह आखिरी अमेंडमेंट है और मैं केसरी जी से निवेदन करूंगा . . (**व्यवधान**) जरा इधर भी ध्यान दें । . . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : मि० अफजल ।

श्री राम रतन राम : माननीय केसरी जी से मेरा निवेदन है कि . . (**व्यवधान**) इसमें लिमिटेशन की बात है, 30 साल का लिमिटेशन क्यों दिया है ? होता क्या है कि गरीब आदमी एक तरह से पचासों साल से उस पर काबिज है अगर उस पर तीस साल का ही लिमिटेशन रखेंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी इसीलिए मैंने उनसे निवेदन किया था कि,

the period of limitation should not apply.

अगर केसरी साहब इसको भी देख लें जैसे रहमान जी की बात को उन्होंने एशोयर किया है तो राम की भी बात थोड़ी सी मान लें । इसमें गरीब का ही भला होगा, मैं गरीबों की ही बात करता हूं ।

उपसभापति : गरीब की क्या बात है? . . . (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, ऐसा है कि अगर किसी का नाजायज कब्जा 12 साल तक है वक्फ की प्रापर्टी पर तब तो है, अगर ज्यादा का है तो उस पर बेदखली की कार्यवाही नहीं होगी । अब इन्होंने तीस साल कर दिया है । आपका कहना यह है कि वक्फ की प्रापर्टी पर ऐडवर्स पजेशन की मियाद नहीं होनी चाहिए । चाहे उसका 20 साल, 30 साल या 40 साल से कब्जा हो "ही कैन बी एविक्टेड" । उसमें लिमिटेशन का पीरियड नहीं होना चाहिए । महोदया, मैं आप को एक उदाहरण देता हूं । यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट में भी पहले 12 साल का प्रोवीजन था, फिर उसको 30 साल किया गया और बाद में अन-लिमिटेड कर दिया गया क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया है और गरीबों के लिए मकान बनाने की और जो दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वह सब फेल हो जाएंगी । चूंकि यह वक्फ की प्रापर्टी गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए अगर कोई उस पर चीज बनानी है और किसी अमीर ने फैक्ट्री लगा ली है 50 साल से वक्फ की प्रापर्टी पर तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है । आप की मंशा यह है । इसलिए वह चाहते हैं कि इसे मान लिया जाय ।

श्री गोविन्दराम मिरी : मैडम, यह बहुत अच्छा सुझाव है, इसको मान लिया जाये ।

उपसभापति : केसरी जी, इनका कहना यह है कि मान लीजिए वक्फ की कोई प्रापर्टी है और जैसा कि अफजल साहब ने उदाहरण दिया कि वक्फ की प्रापर्टी पर कोई फाइव स्टार होटल बन गया । बहरहाल वह यह कह रहे थे कि अगर कोई 12 साल या 30 साल का वक्फ की प्रापर्टी पर कब्जा हो गया फिर वह सौ साल का वक्फ है तो भी वक्फ ही रहा और कोई उसके ऊपर यदि कब्जा कर ले तो वह कब्जा नहीं माना जाएगा । कोई प्रायवेट प्रापर्टी होती है तो उस पर इस तरह का कानून लागू होता है लेकिन जैसे कि कोई मंदिर होता है, मस्जिद होती है या गुरुद्वारा होता है, वह चाहे सौ साल पुराना हो या एक साल पुराना हो, उसकी जगह वही रहती है । तो जिस आदमी ने वक्फ किया है प्रापर्टी को तो उसकी वाकिफ की वह रहती है । इसलिए आप इसकी कोई लिमिट न लगाइए । सब कह देंगे कि हम सौ साल से हैं और उसका वह बताएंगे नहीं ।

श्री सीताराम केसरी : मैडम, एक चीज है । जो बात आप कह रही है और जो हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए, हम सब लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है और रेंट

कंट्रोल के अंतर्गत हम इस चीज को चाहते थे कि वह आए । चूंकि मेरे विभाग से यह संबंधित नहीं होता, इसलिए हमने 30 साल का रखा था । मगर जब आपकी राय है, चैयर की राय है तो हम अपनी ही तरफ से इस चीज को मूव कर देते है ।

उपसभापति : बहुत अच्छे केसरी जी । आप को बहुत-बहुत बधाई, मुबारकबाद ।

श्री **राम रतन राम** : बधाई हो । आप ने राम और रहमान दोनों की बात मान ली ।

श्री **संघ प्रिय गौतम** : थैंक्स टू चेयर ।

श्री राम रतन राम : थैंक्स टू चेयर ।

उपसभापति : चैयर का तो यह काम ही है, लेकिन अगर यह 12 बजे हो जाया करे तो बहुत खुशी की बात है । फेग एण्ड ऑफ द डे तो वैसे भी हो जाता है । केसरी जी, आप अमेंडमेंट को बराबर ड्राफ्ट कर लीजिए ।

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I move:

"That at page 51, line 29 *after* the word 'shali' the words 'not apply' be *inserted.*"

"That at page 51, lines 29 to 31, the words 'be a period of thirty years and such period shall begin to run when the possession of the defendant becomes adverse to the plaintiff' be *delted.*"

The question was put and the motion was adopted...

Clause 108, *as amended, was added to the Bill.*

Clauses 109 *to* 114 *were added to the Bill*

Clause 1 *Short title, extent and commencement.*

SHRI SITARAM KESRI: I move:

"That at page 1, line; 5, for the figure '1993' the figure "1995" be *substituted.*"

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, *as amended, was added to the Bill.*

THE ENACTING FORMULA

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I move:

"That at page 1, line 1, for the word "Forty-fourth" the word "Forty-sixth" be *substituted*"

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula' as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI M. A. BABY: Madam, we not only congratulate Shri Sitaram Kesriji but you also for having helped in the smooth passage of the Bill. Apart from this, we congratulate the entire House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very muh. It has always been my duty to pass every piece of legislation. With this particular legislation, I was involved.

उपसभापति : मैडम, आपका तो इसमें बहुत मुख्य पार्ट रहा है । . . **(व्यवधान)**

SHRI K. RAHMAN KHAN: Madam, I congratulate the hon. Minister and the entire House for having the Bill passed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kesri-ji, thank you for accepting two amendments one from the Left and the other from right, one from Rahim nd the other from Ram and both coming together from the Chair.

SHRI SITARAM KESRI: Madam, I will arrange to send the amendments to the office.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please send the amendments to the office.

THE DEPUTY CHAIRMAN: On this good note.. (*Interruptions*)

SHRI S. K. T RAMACHANDRAN: Madam you are in high spirits.

श्री राम रतन राम : माननीय उपसभापति, जी, मैं आपको, माननीय केसरी जी को रहमान साहब को और मदन को बहुत बहुत बधाई देता हूं ।

उपसभापति : अगला बिल असम यूनिवर्सिटी का है । विष्णु कान्त जी, इसको विदआऊट डिसकशन पास कर दें

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) नहीं, मैडम, मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We sat through lunch hour also.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, this was the decision taken in the B.A.C.

..(व्यवधान).. केवल पांच मिनट में खत्म हो जाएगा ।

उपसभापति : विष्णु कान्त जी, आप समर्थन कर दें तो बगैर डिसकशन के पास कर देते हैं ।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : माननीया, मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक बात का आश्वासन चाहता हूं । यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा, इसमें सारे हिन्दुस्तान से बच्चे वहां भरती हो सकेंगे, तो हमें कोई एतराज नहीं है ।

THE ASSAM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 1994

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): Madam Deputy Chairman, I move:

"That the Bill to amend the Assam University Act, 1989, be taken into consideration."

The question was proposed.

उपसभापति : शास्त्री जी पूछ रहे हैं कि सारे हिन्दुस्तान के लोग इसमें आएंगे ?

कुमारी शैलजा : जी, मैडम । यह सैंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसमें आल ओवर इंडिया से लोग आ सकते है ।

उपसभापति : चलो, आश्वासन हो गया ।

The question is:

"That the Bill to amend the Assam University Act, 1989, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1-Short title

KUMARI SELJA: Madam, I move:

"That at page 1, line 4, for the figure "1994" the figure "1995" be substituted."

The question was put and the motion was **adopted**

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended was added to the Bill.

THE ENACTING FORMULA ...